GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकः वाणिज्य/2025-26/669-1120

दिनांक 07.04.2025 08

1. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
..................................(समस्त)

2. उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
जिला..............................(समस्त)

3. क्षेत्रीय अधिकारी,
राजफेड,
.... (समस्त)

4. मुख्य व्यवस्थापक,
क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ,
....

विषय :- न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत रबी वर्ष 2025-26 में दलहन-तिलहन (चना-सरसों) की खरीद।

प्रसंग :- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक एल-15016/37/2025-एम.पी.एस. (ई-161046) दिनांक 27.03.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र के अनुसरण में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत रबी वर्ष 2025-26 में कृषि जिन्स **चना-सरसों (gram and mustard)** हेतु खरीद कार्य क्षेत्रीय कार्यालय, राजफेड, श्रीगंगानगर में दिनांक 09.04.2025 से एवं शेष राज्य में दिनांक 10.04.2025 से आरंभ किया जाना है। पंजीयन प्रक्रिया संबंधी निर्देश दिनांक 28.03.2025 को जारी किये जा चुके है।

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन-तिलहन खरीद हेतु नोडल एजेन्सी नेफेड के साथ-साथ एनसीसीएफ के द्वारा भी नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य किया जाना है। सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति अनुसार उक्त दोनों एजेन्सियों के मध्य निम्नानुसार कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया गया हैं :-

क्र.सं.	नोडल एजेन्सी	क्षेत्रीय कार्यालय राजफेड (क्षेत्र के जिले)
1.	एनसीसीएफ	अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा (कुल 19 जिले)
2.	नेफेड	जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, भरतपुर (कुल 22 जिले)

कृषि जिन्स **चना–सरसों** क्रय के संबंध में सामान्य जानकारी/प्रचार–प्रसार कराते हुए क्रय केन्द्रों पर खरीद व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्थाएं किये जाने की सुनिश्चितता करें:–

1. खरीद अवधि –

रबी 2025–26 में समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन–तिलहन खरीद का कार्य भारत सरकार द्वारा जारी पीएसएस गाईडलाईन अनुसार किया जाना है। नोडल एजेन्सी नेफेड के अन्तर्गत राज्य के श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में दलहन–तिलहन खरीद का कार्य राजफेड द्वारा जारी आदेश क्रमांक 627–644 दिनांक 05.04.2025 के अनुसरण में दिनांक 09.04.2025 से आरंभ किया जावेगा।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत अनुसार खरीद लक्ष्य एवं अवधि निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्र. एवं दिनांक	जिन्स.	आवंटित खरीद लक्ष्य अधिकतम	खरीद अवधि	
				राजफेड क्षेत्रीय कार्यालय श्रीगंगानगर	**शेष राजस्थान**
.			(मै.टन)	श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिला	
1	एल–15016/37/2025–एमपीएस (ई–161046) दिनांक 27.03.25	**सरसों**	**13,22,360**	**09.04.2025 से 90 दिवस तक**	**10.04.2025 से 90 दिवस तक**
2		**चना**	**5,46,255**	**09.04.2025 से 90 दिवस तक**	**10.04.2025 से 90 दिवस तक**

2. समर्थन मूल्य दर –

रबी 2025–26 में समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाले एफ.ए.क्यू. श्रेणी के चना–सरसों का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार घोषित किया गया है:–

क्र.सं.	जिन्स	**एफ.ए.क्यू. श्रेणी का समर्थन मूल्य (रू. प्रति क्विं.)**
1	चना	5650.00
2	सरसों	5950.00

3. पंजीयन व्यवस्था –

3.1 किसानों के पंजीयन की अवधि

राज्य में किसानों के लिए 1 अप्रेल 2025 से सरसों–चना के विक्रय हेतु पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। ऑनलाईन पंजीकरण का समय प्रातः 9 बजे से सांय 7 बजे तक रहेगा।

3.2 पंजीकरण केन्द्र एवं पंजीकरण शुल्क

सरसों–चना विक्रय के इच्छुक किसान संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा ई–मित्र पर पंजीकरण करवा सकेगें। किसान द्वारा करवाये जाने जाने वाले प्रत्येक पंजीकरण के लिए डीओआईटी द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा जो वर्तमान में प्रति पंजीकरण 31 रु. है, यदि डीओआईटी द्वारा इन दरों में कोई संशोधन किया जाता है तो तदनुरूप पंजीकरण शुल्क देय होगा। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ महोदय के स्तर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों को आवश्यक रूप से पंजीयन करने हेतु पृथक से भी निर्देश जारी किये जाने अपेक्षित है।

3.3 पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

पंजीकरण के समय निम्न दस्तावेज आवश्यक होगें:–

1. जनआधार कार्ड

एक जनआधार कार्ड पर एक ही पंजीकरण मान्य होगा। जनआधार कार्ड में अंकित नामों में से जिस नाम से गिरदावरी होगी, उसी के नाम का पंजीकरण मान्य होगा। जनआधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने के कारण एवं गिरदावरी पति के नाम होने की स्थिति में ऐसा एक पंजीयन स्वीकार किया जा सकता है।

2. **बैंक पास बुक** – राजफेड द्वारा किसानों के जनआधार कार्ड में सीडेड बैंक खाते में विक्रय की गई जिन्स का भुगतान किया जाना है। कृषक पंजीयन से पूर्व जनआधार कार्ड में अपने खाते नम्बर को अद्यतन (अंकित करवाना) कराना सुनिश्चित करे। **खाता संख्या व आईएफएससी कोड में विसंगति के लिए कृषक स्वयं उत्तरदायी होगा। ई–मित्र/समितियाँ पंजीकरण से पूर्व प्रचलित बैंक खाते का जनआधार कार्ड में अद्यतन होना सुनिश्चित करेंगे।**

4. आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाण –

आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन के सेवाएं डीओआईटी के माध्यम से अविलम्ब आरंभ करवाने के प्रयास किये जा रहे है। इस हेतु प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शासन सचिव (आयोजना) को पत्र दिनांक 18.03.2025 के द्वारा राज्य सरकार के स्तर से समर्थन मूल्य खरीद योजना को जनकल्याण के लाभ की योजनाओं के लिए लाभ स्थानान्तरण के लिए आधार अभिप्रमाणन कराने हेतु गजट नोटिफीकेशन में अधिसूचित कराने का अनुरोध किया हुआ है ताकि स्वीकृति प्राप्त होने पर राजफेड एवं डीओआईटी के मध्य AUA_SUB_AUA agreement इसी प्रकार राज्य प्रमुख नेफेड को भी पत्र दिनांक 18.03.2025 द्वारा राजफेड के ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में

आधार अभिप्रमाणन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेन्सी नेफेड के माध्यम से गजट नोटिफीकेशन जारी कराने हेतु अनुरोध किया हुआ है।

आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन की सेवायें डीओआईटी द्वारा समर्थन मूल्य खरीद हेतु उपलब्ध नहीं कराने के कारण रबी 2025 में कृषकों के पंजीयन एवं खरीद प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्य खरीफ 2024 में अपनाई गई प्रक्रियानुसार "जन–आधार ओ0टी0पी0 द्वारा किये जा सकेंगे अर्थात् आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी।

5. गिरदावरी – जिसके नाम गिरदावरी होगी उसी के नाम पंजीकरण मान्य होगा। एक जनआधार–कार्ड में एक पंजीयन की शर्त यथावत रहेगी। मूल गिरदावरी में परिवर्तन संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदन के बिना मान्य नहीं होगा। गिरदावरी में स्पष्टता की दृष्टि से जिला कलक्टर स्तर से राजस्व अधिकारियों को निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये :–

5.1 गिरदावरी में रकबा हैक्टेयर में (अंको एवं शब्दों दोनों में) अंकित करना आवश्यक होगा।

5.2 गिरदावरी का पी– 35 का क्रमांक एवं दिनांक की अनिवार्यता ऑफलाईन गिरदावरी पर है, परन्तु ऑनलाईन गिरदावरी पर पी–35 का क्रमांक एवं दिनांक की अनिवार्यता को शिथिल किया जाता है।

5.3 फसल का रकबा हैक्टेयर में अंकित करना अनिवार्य होगा, बीघा में अंकित होगा तो उसे सॉफ्टवेयर द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। गिरदावरी में बुआई क्षेत्रफल हैक्टेयर में अंको व शब्दों में अंकित होना चाहिए, पंजीकरण हेतु इच्छुक कृषक के हिस्से का स्पष्ट उल्लेख हो एवं बोई गई फसल का नाम व रकबा भी स्पष्ट हो।

5.4 ऑफलाईन गिरदावरी पर पटवारी की मोहर एवं मोबाईल नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित होने चाहिए।

5.5 जमाबन्दी के आधार पर पंजीयन स्वीकार्य नही होगें।

5.6 जिन जिलों/तहसील क्षेत्र में ऑनलाइन गिरदावरियों की सुविधा उपलब्ध है, वहॉ पर ऑनलाइन गिरदावरी भी स्वीकार की जा सकेगी।

5.7 ई–मित्र द्वारा पंजीकरण के समय गलत गिरदावरी अपलोड करने की स्थिति में संबंधित केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी खरीद के समय किसान की मूल गिरदावरी प्राप्त कर, स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। ऐसे दुरूस्तीकरण के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं आवश्यक संशोधित दस्तावेज समिति कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

नोट – मूल गिरदावरी में संशोधन राजफेड मुख्यालय स्तर से अनुमोदन के बिना मान्य नहीं होगा।

राजफेड के पत्र क्रमांक 2–24 दिनांक 01.04.2025 जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की हुई है के द्वारा समस्त जिला कलक्टर को यह अनुरोध किया गया है कि संबंधित राजस्व अधिकारियों/कर्मियों को यह निर्देशित करावें किसी भी किसान द्वारा यदि ऑफलाईन गिरदावरी की नकल की मांग की जाती है तो संबंधित पटवारियों द्वारा नियमानुसार तत्काल ऑफलाईन गिरदावरी

संबंधित किसान को उपलब्ध कराई जावे तथा ऑफलाईन गिरदावरी संबंधित हल्का पटवारी द्वारा अपने हस्ताक्षर के साथ–साथ अपना नाम, मोबाईल नम्बर, पद की मोहर अनिवार्य रूप से लगावे ताकि ऑफलाईन गिरदावरी की विश्वसनियता पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न न हो।

6. बटाईदार –

6.1 बटाईदार की स्थिति में कृषि भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य बुआई से पूर्व या बुवाई अवधि (कृषि विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 28.01.2025 (परिशिष्ट–1) के अनुसार सरसों–चना के लिए (सितम्बर 2024 से नवम्बर 2024) के समय का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर विधिवत नोटेरी से सत्यापित अनुबंध मान्य होगा एवं भूमि मालिक की गिरदावरी तथा जनआधार कार्ड एवं बटाईदार का जनआधार कार्ड आवश्यक होगा। बुआई अवधि के बाद का अनुबंध पंजीकरण हेतु स्वीकार्य नहीं होगा। भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य एक ही अनुबंध मान्य होगा। कृषि भूमि मालिक एवं काश्त करने वाले किसान के मध्य रुपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जाना है। बटाई अनुबन्ध को पंजीकरण के समय गिरदावरी के साथ ही अपलोड कराना आवश्यक होगा अन्यथा पंजीयन मान्य नहीं होगा।

6.2 भूमि मालिक यदि चाहे तो जनआधार कार्ड के आधार पर अपना अथवा बटाईदार की स्थिति में उसके नाम से पंजीयन करवा सकता है **अर्थात एक जनआधार कार्ड पर केवल एक ही पंजीयन स्वीकार होगा।**

6.3 भूमि मालिक एवं बटाईदार के दो पृथक–पृथक पंजीयन स्वीकार नहीं होंगे **अर्थात् भूमि मालिक किसान स्वयं अथवा बटाईदार दोनों में से कोई एक जिन्स विक्रय कर सकेगा।**

7. पंजीकरण की अधिकतम सीमा –

(अ) राज्य की पंजीयन सीमा

भारत सरकार से जिन्सवार प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार प्रति किसान 40 क्विंटल की उपार्जन सीमा अनुसार 100 प्रतिशत तक फसलवार पंजीयन किये जाने है। प्रथमतः 90 प्रतिशत सीमा तक एवं शेष 10 प्रतिशत पंजीयन समीक्षा उपरान्त किये जा सकेंगें ।

(ब) जिले की पंजीयन सीमा

सरसों–चना के कृषि विभाग से प्राप्त जिलेवार उत्पादन अनुमान के आधार पर जिले में उत्पादित जिन्स के 25 प्रतिशत तक खरीद की सीमा होगी। जिले की खरीद सीमा एवं प्रति कृषक 40 क्विं. अधिकतम क्रय के आधार पर प्राप्त कृषकों की संख्या से जिले की खरीद मात्रा की सीमा एवं प्रति कृषक निर्धारित अधिकतम क्रय मात्रा के आधार पर सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति अनुसार जिलेवार, जिन्सवार पंजीयन किया जा सकेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्र क्रमांक 15016/37/2025–एमपीएस (ई–161046) दिनांक 27.03.2025 के द्वारा द्वितीय अग्रिम उत्पादन

अनुमान के आधार पर खरीद लक्ष्य स्वीकृत किये गए है। अतः उसी अनुरूप जिले की पंजीयन सीमा होगी।

(स) क्रय केन्द्र की पंजीयन सीमा

क्रय केन्द्रों की पंजीकरण सीमा जिस तहसील से क्रय केन्द्र है, उस तहसील के उत्पादन अनुमान के आधार पर तय की जावेगी। **पंजीकरण एवं दिनांक आवंटन खरीद की गारंटी नहीं होगी, अधिकाधिक किसानों को अवसर प्रदान करने की दृष्टि से पंजीकरण किये जाने है। किसानों के पंजीयनों को ध्यान में रखते हुये समय–समय पर समीक्षा कर जिले की सीमा के अन्तर्गत पंजीयन सीमा का समायोजन किया जा सकेगा। पंजीयन सीमा का निर्धारण निम्न फॉर्मूला अनुसार सरसों–चना हेतु केन्द्रों की पंजीकरण सीमा का आंकलन किया जावेगा :–**

<u>तहसील का उत्पादन क्विंटल में (जिन्स का नाम– सरसों–चना)</u> जिन्स का जिलों से प्राप्त तहसीलवार उत्पादन का योग (जिले में जिन्स का कुल उत्पादन) (जिन्स का नाम – सरसों–चना)	X	जिले की जिन्स विशेष हेतु पंजीकरण सीमा

<u>के.वी.एस.एस. एवं जी.एस.एस. (सहकार मित्र) के मध्य कृषक पंजीयनों का विभाजन क्रमशः 60 एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में किया जावेगा।</u>

खरीद केन्द्रों पर कांटों की संख्या पंजीयनों की संख्या के आधार पर घटाई/बढाई जा सकती है। यदि एक स्थान पर 2 क्रय एजेन्सी कार्यरत है तो उस स्थिति में पंजीयनों को दोनों एजेन्सियों में 50:50 के अनुपात में विभाजित करने के उपरांत संबंधित क्रय–विक्रय सहकारी समिति एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 60:40 के अनुपात में विभाजन किया जावेगा।

जिले में समर्थन मूल्य पर जिन्स उपार्जन की अधिकतम खरीद सीमा भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.03.2025 से प्राप्त द्वितीय अग्रिम उत्पादन अनुमान अनुसार 25 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी।

(द) समर्थन मूल्य रबी 2025–26 के दौरान किसानों को तुलाई हेतु संदेश भेजे जाने हेतु किसानों की संख्या का निर्धारण संबंधी क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड के क्षेत्र में आने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर खरीद हेतु अपेक्षित आधारभूत आवश्यकता यथा बारदाना, हैण्डलिंग एवं परिवहन की व्यवस्था को देखते हुए सप्ताहिक रूप से लिखित में अनुशंषा आई.टी. शाखा मुख्यालय, राजफेड को ई–मेल आई. डी. **rajfed.opr@yahoo.com** पर भिजवाने पर ऑनलाईन सिस्टम द्वारा जिन्सवार स्वतः वरीयता क्रम में किसानों को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर संदेश जारी किये जा सकेंगे। सभी क्षेत्रीय अधिकारी प्रत्येक गुरूवार सायं तक उक्त सूचना ई–मेल द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि आगामी सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार) के लिए समय पर तुलाई संदेश जारी किये जा सके एवं संबंधित किसान द्वारा समय पर तुलाई बाबत संदेश प्राप्त होने पर अपने जिन्स की तुलाई निर्धारित केन्द्र पर करवा सके। अतः सभी क्षेत्रीय अधिकारीगण उपरोक्त व्यवस्थानुसार सूचना ई–मेल द्वारा अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा स्थिति में केन्द्रों को दिनांक आवंटन करना संभव नहीं होगा।

8. क्रय केन्द्र –

सरसों–चना के लिए ही पंजीकरण मान्य होगा, अन्य जिन्स के लिए यदि किसान द्वारा पंजीकरण करवाया जाता है तो वह स्वीकार्य नहीं होगा। किसान की कृषि भूमि जिस तहसील में होगी उसी तहसील के कार्य क्षेत्र में आने वाले क्रय केन्द्र का चयन फसल विक्रय हेतु किसान द्वारा किया जा सकेगा। **यदि कृषक/ई–मित्र द्वारा गलत तहसील भरकर पंजीयन कराया गया है, तो जिन्स क्रय नहीं किया जावेगा। रबी सीजन वर्ष 2025–26 में समर्थन मूल्य पर सरसों–चना के केन्द्रों की सूची दिनांक 18.03.2025 एवं 24.03.2025 से जारी की जा चुकी है। क्षेत्र से मांग प्राप्त होने पर परिक्षण उपरांत और अतिरिक्त केन्द्र स्थापित किये जा सकेंगे। कृषक के द्वारा क्रय केन्द्र के स्थानान्तरण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जावेगा।**

यदि कृषक/ई–मित्र द्वारा वास्तविक तहसील के स्थान पर अन्य गलत तहसील भरकर पंजीयन करवाता है तो जिन्स क्रय नहीं किया जावेगा।

9. मोबाईल नम्बर –

किसान द्वारा एक मोबाईल नम्बर पर केवल एक पंजीकरण दर्ज करवाया जा सकेगा अर्थात प्रत्येक पंजीकरण में पृथक–पृथक मोबाईल नम्बर दर्ज होगें जिसमें वह अपने सरसों–चना के पंजीकरण में दर्ज करवा सकेगा।

10. अन्य –

10.1 किसान को पंजीकरण में सम्बन्धित जिन्स की गिरदवारी जुडवाने की दिनांक के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा वरीयता क्रम में तुलाई दिनांक एवं उससे खरीद की जाने वाली मात्रा सबंधित केन्द्र पर लाने बाबत पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

10.2 यदि किसान किसी कारणवश निर्धारित दिनांक को क्रय केन्द्र पर अपनी जिन्स का विक्रय नहीं कर पाता है, तो वह 10 दिवस की अवधि में अपना जिन्स कभी भी तुलवा सकता है।

10.3 तुलाई पश्चात् किसान का ऑनलाइन बिल जन आधार ओ0टी0पी0 के पश्चात् जनरेट कर एक प्रति किसान को दी जावेगी। आधार आधारित अभिप्रमाणन सेवा के उपयोग संबंधी स्वीकृति प्राप्त होने पर तदनुसार पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे।

10.4 जिन्स विक्रय के पश्चात् किसान के जन आधार कार्ड में अंकित बैंक खाते में सीधे ही जिन्स विक्रय की राशि संबंधित क्रय केन्द्र एवं संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरान्त राजफेड मुख्यालय स्तर पर दो सक्षम अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर पश्चात् मुख्यालय लेखा अनुभाग द्वारा निर्देशित बैकों के माध्यम से समय–समय पर स्थानान्तरित कर दी जावेगी।

11. ऑनलाइन पंजीकरण में समस्याएं एवं निराकरण –

विभिन्न क्रय केन्द्रों एवं कृषकों को ऑनलाइन पंजीकरण में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का निराकण निम्नानुसार करने की व्यवस्था की गई है :–

क्र.सं.	ऑनलाईन पंजीकरण में समस्या	निराकरण
1.	ऑनलाईन पंजीकरण में जन–आधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने तथा कृषि भूमि पति/पत्नी के नाम होने के कारण पंजीकृत किसान की कृषि जिन्स खरीद करने बाबत।	जन–आधार कार्ड में एक पंजीयन की शर्त यथावत रहेगी। जन–आधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने के कारण एवं गिरदावरी पति के नाम होने की स्थिति में ऐसा एक पंजीयन स्वीकार किया जा सकता है।
2.	किसान को तुलाई दिनांक आवंटन के पश्चात **10 दिवस** में जिन्स तुलाई नहीं होने की स्थिति में तुलाई प्रकिया।	किसान को दिनांक आवंटन होने के बाद खरीद केन्द्र पर बारदाने के अभाव/क्रय की गई जिन्स का उठाव नहीं होने या अन्य वाजिब कारण से यदि तुलाई नहीं हुई है तो ऐसे कृषकों की जिन्स की तुलाई हेतु कृषक के प्रार्थना पत्र के साथ क्रय केन्द्र के माध्यम से सबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेषित करेगें जिसे क्षेत्रीय अधिकारी राजफेड द्वारा अपनी अनुशंषा सहित मुख्यालय को प्रेषित करेगें। राजफेड मुख्यालय स्तर से स्वीकृति उपरांत जिन्स की तुलाई हो सकेगी।
3.	यदि गिरदावरी में अंकित नाम का मिलान जन–आधार कार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों के नाम से नहीं होता है तो ऐसे पंजीकरण की स्थिति के सबंध में।	यदि गिरदावरी में अंकित नाम का मिलान जन–आधार कार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों के नाम से नहीं होता है तो ऐसे पंजीयन खरीद हेतु स्वीकार नहीं किये जावेगें।
4.	**ई–मित्र द्वारा पंजीयन के समय गलत गिरदावरी अपलोड करने की स्थिति में वास्तविक गिरदावरी के आधार पर संशोधन/दुरूस्तीकरण।**	**ई–मित्र द्वारा पंजीयन के समय गलत गिरदावरी अपलोड करने की स्थिति में संबंधित केन्द्र मुख्य व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी खरीद के समय किसान की मूल गिरदावरी प्राप्त कर, स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। ऐसे दुरूस्तीकरण के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं आवश्यक संशोधित दस्तावेज समिति कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।** **पंजीयन के समय ई–मित्र द्वारा जो गलत गिरदावरी अपलोड की गई एवं जिस वास्तविक मूल गिरदावरी के आधार पर संशोधन कर संशोधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किये जा रहे है को पूर्ण रूप से समिति कार्यालय में**

		रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखा जाये एवं इस कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाये। फर्जी गिरदावरी अथवा गलत गिरदावरी के आधार पर खरीद की संभावना शून्य रहे, को सतर्कता से सुनिश्चित किया जाना है।
5.	भूमि विवरण जीरो दर्ज होने पर आवश्यक दुरूस्तीकरण।	ऑनलाइन प्रविष्टियों में यदि भूमि विवरण जीरो दर्ज हो गया है तो संबंधित केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक/क्रय केन्द्र प्रभारी किसान से खरीद के समय मूल गिरदावरी से मिलान कर आवश्यक संशोधन कर सकेगा, इससे संबधित समस्त रिकॉर्ड समिति कार्यालय में सुरक्षित रखा जावे ऐसे दुरूस्तीकरण के लिए संबधित केन्द्र प्रभारी स्वंय जिम्मेदार होगें। **उक्त परिस्थिति में किसान का पंजीयन संशोधन दिनांक से मान्य होगा एवं उक्त तिथि की वरीयतानुसार सॉफ्टवेयर से स्वतः दिनांक आवंटित होगी।**
6.	पी 35 दिनांक – क्रमांक एवं राजस्व ग्राम अपडेट करना।	ऑनलाइन पंजीयन के समय यदि पी 35 क्रमांक, दिनांक एवं राजस्व ग्राम गलत प्रिंट हो गया है तो संबंधित क्रय केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. से मूल गिरदावरी में अंकित पी 35 क्रमांक, दिनांक एवं राजस्व ग्राम का पंजीकरण में संशोधन कर सकेगा। यह व्यवस्था ऑफलाईन गिरदावरी के प्रकरणों पर लागू होगी।

12. ई–मित्र के दायित्व –

12.1 ई–मित्र का दायित्व होगा कि पंजीकरण से संबंधित नियमों की पूर्ण पालना करते हुए किसानों का **सरसों–चना** का विक्रय हेतु पंजीकरण किया जावे।

12.2 ई–मित्र द्वारा पंजीकरण कार्य में अनियमितता/लापरवाही बरतने की स्थिति में सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग (डीओआईटी), राजस्थान सरकार द्वारा ई–मित्र के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई ई–मित्र का लाईसेंस निरस्त करने, शास्ती अधिरोपित करने आदि संबंधी कार्रवाई की जा सकेगी। इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगें।

12.3 पंजीकरणकर्ता ई–मित्र/समिति पंजीयन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने के लिये दायित्वाधीन होंगें :–

1. गिरदावरी

(i) फसल का रकबा हैक्टेयर में अंकित करना अनिवार्य होगा, **बीघा में अंकित होगा तो उसे** सॉफ्टवेयर द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। गिरदावरी में बुआई क्षेत्रफल हैक्टेयर में अंको व

शब्दों में अंकित होना चाहिए, पंजीकरण हेतु इच्छुक कृषक के हिस्से का स्पष्ट उल्लेख हो एवं बोई गई फसल का नाम व रकबा भी स्पष्ट अंकित होना चाहिये।

(ii) गिरदावरी पर पटवारी की मोहर एवं मोबाईल नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित होने चाहिए।

(iii) जिन जिलों/तहसील क्षेत्र में ऑनलाइन गिरदावरियों की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर ऑनलाइन गिरदारी भी स्वीकार की जा सकेगी। किसान ऑनलाइन गिरदावरी प्राप्त कर, उस पर भी पी 35 का क्रमांक एवं दिनांक अंकित करवाकर पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर सकेगा।

2. आधारकार्ड में मोबाईल नम्बर लिंक होना सुनिश्चित करे।

3. जनआधार कार्ड में प्रचलित बैंक खाता Seeded होने का सत्यापन करें।

4. पंजीकरण फार्म में गिरदावरी में अंकित पी–35 का क्रमांक एवं दिनांक आवश्यक रूप से अंकित करे।

5. जमाबन्दी के आधार पर पंजीयन स्वीकार्य नही होगें।

6. बटाईदार की स्थिति में कृषि भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य बुआई से पूर्व या बुवाई अवधि (कृषि विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 28.01.2025 (परिशिष्ट–1) के अनुसार सरसों–चना के लिए (सितम्बर 2024 से नवम्बर 2024) के समय का 100 रू के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर विधिवत नोटेरी से सत्यापित अनुबंध मान्य होगा एवं भूमि मालिक की गिरदावरी तथा जनआधार कार्ड एवं बटाईदार का जनआधार कार्ड आवश्यक होगा। बुआई अवधि के बाद का अनुबंध पंजीकरण हेतु स्वीकार्य नही होगा। भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य एक जिन्स के लिए एक ही अनुबंध मान्य होगा। अनुबन्ध को पंजीकरण के समय गिरदावरी के साथ स्कैन कर अपलोड कराना आवश्यक होगा अन्यथा पंजीयन मान्य नहीं होगा।

7. आधार आधारित अभिप्रमाणन व्यवस्था लागू होने पर किसी भी कृषक के अंगूठे बायोमैट्रिक प्रमाणन योग्य होने के उपरांत भी यदि उक्त किसान का पंजीयन ओटीपी आधार पर किया जाता है तो ऐसे पंजीयन स्वीकार्य नहीं होगें एवं संबंधित ई–मित्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई यथा ई–मित्र लाईसेंस निरस्त करना, अर्थदण्ड लगाना एवं पुलिस कार्रवाई अमल में लायी जावेगी जिसके लिए ई–मित्र स्वयं उत्तरदायी होगें। ओटीपी विकल्प का उपयोग वास्तविक प्रकरणों में ही किया जाना है अर्थात् आधार आधारित अभिप्रमाणन व्यवस्था जब तक आरंभ नहीं होने की स्थिति में ओ0टी0पी0 व्यवस्था जारी रहेगी।

8. जिस तहसील में भूमि है उस तहसील के केन्द्र पर ही पंजीयन किया जावे अन्यत्र तहसील पर पंजीकरण करने की स्थिति में कृषक से जिन्स क्रय नहीं की जावेगी एवं उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने पर सम्बन्धित ई–मित्र/समिति के खिलाफ कार्रवाई की जावेगी।

9. समर्थन मूल्य पर खरीद के दौरान पंजीयन कराते समय किसान के जनआधार कार्ड में अंकित बैंक खाते की पासबुक से मिलान कर खाता नम्बर की पुष्टि करें। यदि खाता संख्या एवं आई.एफ. एस.सी. कोड नम्बर गलत है तो जनआधार कार्ड में संशोधन करवाना भी सुनिश्चित करें।

13. तुलाई हेतु मैसेज

तुलाई हेतु कृषक को संदेश भेजे जाने की संख्या का निर्धारण सामान्यतः सिस्टम द्वारा जिन्सवार वरीयता क्रम में केन्द्र पर कुल पंजीयन संख्या एवं तुलाई हेतु कुल कार्यदिवस के आधार पर किया जाता है। **केन्द्रों पर जिन्स तुलाई की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से समर्थन मूल्य खरीफ 2024 की भाँति रबी 2025 में किसानों को तुलाई हेतु संदेश भेजे जाने हेतु किसानों की संख्या का निर्धारण संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड के क्षेत्र में आने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर खरीद हेतु अपेक्षित आधारभूत आवश्यकता यथा बारदाना, हैण्डलिंग एवं परिवहन की व्यवस्था को देखते हुए सप्ताहिक रूप से लिखित में अनुशंषा आई.टी. शाखा मुख्यालय, राजफेड को ई–मेल आई.डी. rajfed.opr@yahoo.com पर भिजवाने पर ऑनलाईन सिस्टम द्वारा जिन्सवार स्वतः वरीयता क्रम में किसानों को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर संदेश जारी किये जा सकेंगे।** सभी क्षेत्रीय अधिकारी प्रत्येक गुरूवार सायं तक उक्त सूचना ई–मेल द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि आगामी सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार) के लिए समय पर तुलाई संदेश जारी किये जा सके एवं संबंधित किसान द्वारा समय पर तुलाई बाबत संदेश प्राप्त होने पर अपने जिन्स की तुलाई निर्धारित केन्द्र पर करवा सके।

14. किसान से जिन्स की क्रय प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

1. क्रय केन्द्र पर पहुँचने वाले कृषक से प्रथमतः निम्न दस्तावेज प्राप्त किये जावे :–
   - (I) जन–आधार कार्ड
   - (II) आधार कार्ड
   - (III) गिरदावरी की मूल नकल
   - (IV) बैंक पास बुक की प्रति
   - (V) बटाईदार की स्थिति में बटाईदार का मूल अनुबंध

दस्तावेजों एवं भूमि रिकॉर्ड में किसी भी तरह की कटिंग, ओवरराईटिंग, इरेजिंग (erasing) मान्य नहीं होगी एवं ऐसे किसान से खरीद नहीं की जावेगी। यदि ऐसे किसान से दलहन–तिलहन की खरीद की गई, तो समिति मुख्य व्यवस्थापक/खरीद केन्द्र प्रभारी स्वंय उत्तरदायी होंगे एवं संबंधित दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय/अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

2. एफएक्यू गुणवत्ता मापदंडो की जाँच की जावे। जिन्स नॉन एफएक्यू होने की स्थिति में बिन्दु क्रमांक 15 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जावे।

3. **कृषक द्वारा गिरदावरी की हार्डकॉपी में अंकित जिन्स के बोये गये क्षेत्रफल एवं जिले की उत्पादकता के अनुसार क्रय की जाने वाली मात्रा तक ही जिन्स की खरीद की जानी है। क्रय केन्द्र**

द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक खरीद की जाती है तो केन्द्र प्रभारी स्वंय उत्तरदायी होंगे एवं संबंधित दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय/अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

4. सैम्पल पास होने के उपरान्त केन्द्र पर तुलाई व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

5. तुलाई के पश्चात् ऑनलाईन विक्रय पर्ची कृषि जिन्स विक्रय दिवस को ही जारी की जानी अनिवार्य होगी।

6. ऑनलाईन विक्रय पर्ची के अभाव में खरीद पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकेगी।

7. ऑनलाईन बिल जारी करने हेतु मुख्य व्यवस्थापक/क्रय केन्द्र प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि कुछ केन्द्रों पर कृषकों से जिन्स तुलाई के उपरांत ऑनलाईन विक्रय पर्ची अपलोड नहीं की गई, जिसके कारण कृषक को ऑनलाईन प्रक्रियानुसार भुगतान संभव नहीं हो पाता जबकि कृषक का एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स भण्डारगृह में भी जमा हो चुका होता है। अतः ऑनलाईन बिल/विक्रय पर्ची अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड की जाये।

8. ऑफलाईन खरीद करने अथवा निर्धारित समय में ऑनलाईन विक्रय बिल नहीं बनाने पर संबंधित समिति उत्तरदायी होगी।

9. ऑफलाइन खरीद किये जाने पर भुगतान का दायित्व राजफेड का नहीं होगा एवं ऑफलाइन क्रय जिन्स समिति की होगी एवं इस क्रम में समस्त दायित्व संबंधित समिति का होगा।

10. कृषि जिन्स खरीद का समस्त रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाकर पोर्टल पर दर्ज करवानें की सुनिश्चितता करें।

11. भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स (दलहन–तिलहन) लाने का उत्तरदायित्व स्वयं किसान का होगा।

12. **कृषि जिन्स कांटे तक लाये जाने हेतु वसूल योग्य राशि समिति द्वारा संबंधित किसान प्राप्त कर उसकी रसीद कृषक को दी जावेगी तथा रसीद की एक प्रति समिति अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेगी तथा मण्डी लेबर की राशि का भुगतान समिति द्वारा संबंधित लेबर/ठेकेदार को किया जावेगा।**

समर्थन मूल्य **सरसों, चना** खरीद में किसी प्रकार की समस्या हो तो किसान हेल्पलाईन नम्बर 18001806001 पर दर्ज करा सकेंगें एवं संबंधित क्रय–विक्रय सहकारी समिति/क्षेत्रीय कार्यालय राजफैड तथा मुख्यालय में स्थापित कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज करा सकेंगें।

14.1 उत्पादकता

रबी वर्ष 2025–26 में समर्थन मूल्य पर सरसों, चना की खरीद संयुक्त निदेशक, कृषि सांख्यिकी, राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ6(III) आ.कृ. दलहन–तिलहन/2025/2276–77 दिनांक 31.01.2025 जिसकी प्रति पूर्व में आपको पत्र क्रमांक 110–163 दिनांक 02.04.2025 द्वारा प्रेषित की हुई है, की प्रति संदर्भ हेतु **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है। **जिले की औसत उत्पादकता एवं मूल गिरदावरी में दर्शित बोये गये जिन्स के क्षेत्रफल के आधार पर किसान से खरीद किये जाने का दायित्व समिति मुख्य व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी का होगा।**

14.2 मंदिर की कृषि एवं रिसीवरी भूमि से सम्बन्धित दलहन/दलहन की खरीद प्रक्रिया

मन्दिर माफी की भूमि एवं रिसीवरी भूमि पर काश्त करने वाले किसानों से समर्थन मूल्य पर दलहन–तिलहन की खरीद की मांग समय–समय पर की जाती रही है। पूर्व में सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति अनुसार उपरोक्त प्रकरणों में समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन की खरीद के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. देव स्थान/मन्दिर मूर्ति की भूमि के प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदी/खसरा गिरदावरी में मन्दिर मूर्तियों के नाम दर्ज भूमियों पर काश्त करने वाले काश्तकारों के नाम तहसील में एक पंजिका में पृथक से दर्ज होते है इन प्रकरणों में तहसीलदार द्वारा सबंधित काश्तकार को संबंधित खसरा नम्बर में काश्त करने बाबत एक प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित खसरा नम्बर में पैदा हुई दलहन–तिलहन को नियमानुसार समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा सकेगा।

2. कई प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा रिसीवरी की भूमियाँ दी जाती है जिनमें प्रतिवर्ष काश्त हेतु भूमि की नीलामी की जाती है। नीलामी में लेने वाले काश्तकारों द्वारा उन भूमियों पर काश्त की जाती है। न्यायालय आदेशों से रिसीवरी में दी गई भूमियों की जानकारी तहसील मे पृथक पंजिका संधारित की जाती है। अतः संबंधित तहसीलदार के प्रमाण पत्र के आधार पर नीलामी में भूमि काश्त पर लेने वाले काश्तकार से दलहन तिलहन की नियमानुसार समर्थन मूल्य खरीद की जा सकेगी।

3. मन्दिर माफी/देव मूर्तियों की भूमियों के सबंध में काश्त करने वाले पुजारियों की समस्याओं के समाधान बाबत संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/2007 पार्ट/5 दिनांक 12.09.18 की प्रति <u>परिशिष्ट–3</u> पर संलग्न है।

14.3 बटाईदार कृषक से खरीद प्रक्रिया

बटाईदार कृषक की जिन्स क्रय किये जाने से पूर्व खरीद केन्द्र प्रभारी भूमि मालिक या बटाईदार कृषक दोनों में से किसी एक कृषक से ही खरीद किया जाना सुनिश्चित करेगे। बटाईदार कृषक से खरीद किये जाने हेतु केन्द्र प्रभारी एक रजिस्टर का संधारण करेगे, जिसमें भूमि मालिक एवं बटाईदार की दोनों की डिटेल का अंकन किया जावे एवं बटाईदार कृषक से खरीद किये जाने से पूर्व रजिस्टर/रिकॉर्ड से मिलान कर यह सुनिश्चित किया जावे कि भूमि मालिक/बटाईदार में से किसी एक के द्वारा पूर्व में तुलाई तो नहीं कराई गई है अर्थात् बटाईदार के मामले भूमि मालिक अथवा बटाईदार दोनों में से किसी एक से ही जिन्स की खरीद की जानी है। रजिस्टर का संधारण निम्न प्रारूप निम्नानुसार किय जावे :–

भूमि मालिक				बटाईदार				
भूमि मालिक का नाम	जन–आधार कार्ड का न.	मो.न.	भूमि का खाता सं.	बटाईदार का नाम	जन–आधार कार्ड का न.	मो.न.	भूमि का खाता सं.	जिन्स जिसके लिये अनुबन्ध किया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9

उक्त सूचना रजिस्टर के साथ–साथ राजफेड द्वारा प्रेषित एक्सल शीट में भी संधारित की जानी है। यदि पंजीयन दोहराया जाना पाया जाता है, तो ऐसे पंजीयन पर जिन्स की खरीद नहीं की जानी है। क्रय केन्द्र प्रभारी/समिति मुख्य व्यवस्थापक 25 प्रतिशत बटाई अनुबंधों को सत्यापन करेंगे।

समिति द्वारा बटाईदार के अनुबंध का सत्यापन भूमि मालिक से आवश्यक रूप से किया जावें। इस हेतु क्रय केन्द्र प्रभारी एवं समिति मुख्य व्यवस्थापक संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगें।

14.4 कृषि जिन्स खरीद मात्रा

भारत सरकार के निर्देशानुसार एक दिन में एक किसान से अधिकतम 80 कट्टे (50 किलो भर्ती) जिन्सवार क्रय किये जा सकेंगे अर्थात एक किसान से एक दिन में अधिकतम 40 क्विन्टल कृषि जिन्स न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिन्सवार क्रय किये जा सकेंगे।

<u>15. गुणवत्ता मापदण्ड –</u>

भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय किये जाने हेतु विभिन्न जिन्सों की खरीद हेतु अलग–अलग गुणवत्ता मापदंड निर्धारित किये गये है। **एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता की जिन्स विक्रय हेतु लाये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कृषक का होगा। अतः काश्तकार क्रय केन्द्र पर जिन्स विकय हेतु लाने से पूर्व किसी परेशानी से बचने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी जिन्स गुणवत्ता मापदंडो के अनुकूल है। यदि अनुकूल नही हो तो कृषक स्वयं अपने स्तर पर ग्रेडिंग कर क्रय केन्द्र पर लावें।**

नेफेड, जयपुर के पत्र क्रमांक 7 दिनांक 01.04.2025 से प्राप्त रबी 2025–26 में समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत चना, सरसों की खरीद हेतु निर्धारित गुणवत्ता मापदंड जिसकी प्रति पूर्व में आपको पत्र क्रमांक 110–163 दिनांक 02.04.2025 द्वारा प्रेषित की हुई है, की प्रति संदर्भ हेतु **<u>परिशिष्ट–4 से</u>** <u>6</u> पर संलग्न है। **केवल मात्र निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप क्रय की गयी चना, सरसों ही योजनान्तर्गत स्वीकार किया जायेगा।**

<u>16. नकली सरसों की पहचान –</u>

गत सीजन में क्रय केन्द्रों पर नकली सरसों लाये जाने के प्रकरण भी संज्ञान में आए है। क्रय केन्द्र पर कृषकों द्वारा लाई गई सरसों गुणवत्ता मापदण्ड के अनुरूप हो यह सुनिश्चित करने के लिए नकली सरसों का परीक्षण करना भी अतिआवश्यक हो गया है। अतः प्रत्येक कृषक से सरसों क्रय करने से पूर्व कृषक द्वारा लाये गये सरसों के सैम्पल को मौके पर ही कृषक की उपस्थिति में पानी से भरी हुई बाल्टी में सैम्पल डालकर परीक्षण किया जावें, यदि पानी में सरसों घुल जाती है तो इससे यह स्पष्ट है कि उक्त सरसों असली न होकर कृत्रिम रूप से अन्य पदार्थो के तैयार किये गए दाने है जो खरीद हेतु स्वीकृत नहीं है।

क्रय केन्द्र पर गुणवत्ता मापदंडों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। समिति के मुख्य कार्यकारी/खरीद प्रभारी एफ.ए.क्यू. मापदण्डों के अनुरूप खरीद करने के लिये उत्तरदायी होंगे। कृषि जिन्स के गुणवत्ता मापदण्डों के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर निम्न कमेटी की बैठक आहूत कर जिन्स के एफ.ए.क्यू./नॉन एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता के विवाद का निस्तारण किया जावे :-

1. व्यवस्थापक क्रय-विक्रय सहकारी समिति /प्रभारी, क्रय केन्द्र अध्यक्ष
2. हल्का निरीक्षक (सहकारिता) सदस्य
3. सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति का सचिव या सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य
4. सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक कृषि विभाग सदस्य

गुणवत्ता का निर्धारण बहुमत से किया जायेगा। मत बराबर होने पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। कमेटी की कार्रवाई को लिपिबद्ध किया जावे और समिति रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जावे।

गुणवत्ता मापदंडो के आधार पर कृषि जिन्स रिजेक्शन की स्थिति में किसान को रिजेक्शन के कारणों से अवगत कराते हुए सन्तुष्ट किया जावे एवं रिजेक्शन स्लिप एवं रजिस्टर पर संबंधित किसान के हस्ताक्षर करवाये जावे एवं केन्द्र पर संधारित किये जाने वाले रजिस्टर में रिजेक्शन के कारणों का भी उल्लेख किया जावे। रिजेक्शन रजिस्टर का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्रय-विक्रय सहकारी समिति..............केन्द्र का नाम....................

रिजेक्शन रजिस्टर

क्र. सं.	जिन्स का नाम	किसान का नाम पता	पंजीकरण संख्या	पंजीकृत मोबाईल नम्बर	तुलाई हेतु आवंटित दिनांक	जिन्स रिजेक्शन का आधार	किसान के हस्ताक्षर	केन्द्र प्रभारी हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

केन्द्र पर जिन्स के रिजेक्शन की स्थिति में कृषि जिन्स की गुणवत्ता के सबंध में पूर्ण रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जावे एवं क्रय की गई जिन्स का सैम्पल भी लिया जावे एवं सैम्पल की पर्ची में किसान का नाम, क्रय रजिस्टर में अंकित क्रमांक, दिनांक तथा किसान के ऑनलाईन पंजीकरण के क्रमांक एवं दिनांक तथा जिन्स में नमी की मात्रा का भी उल्लेख किया जावे।

सैम्पल - क्रय केन्द्र पर किसान का माल नॉन एफ.ए.क्यू. होने पर ही 500 ग्राम का सैम्पल लिया जावे। एफ.ए.क्यू. जिन्स का सैम्पल नहीं लिया जावें।

कृषक द्वारा लायी गयी जिन्स यदि नॉन एफ.ए.क्यू. है एवं यदि अतिरिक्त छनाई, ग्रेडिंग आदि की आवश्यकता है तो कृषक द्वारा यह कार्य स्वयं के स्तर से कराया जावेगा। क्रय केन्द्र पर किसी प्रकार की ग्रेडिंग मशीन आदि नहीं लगायी जावें।

कृषक द्वारा लायी गयी नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स का क्रय केन्द्र से तुरंत उठाव सुनिश्चित किया जावें। नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स क्रय केन्द्र पर किसी भी स्थिति में पड़ी नहीं रहे।

17. खरीद केन्द्र पर विडियोग्राफी –

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से एवं कृषक की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने के लिए विडियोग्राफी कराया जाना अतिआवश्यक है। अतः सभी खरीद केन्द्र पिड पर एवं क्रय केन्द्र पर ट्रकों के लोडिंग पॉइन्ट पर ट्रकों की विडियोग्राफी की पुख्ता व्यवस्था करें। यह इसलिए भी आवश्यक है कि कई बार क्रय केन्द्रों के संबंध में राशि मांगने अथवा खरीद कार्य में सहयोग नहीं करने की शिकायतें प्राप्त होती है एवं जाँच कराने पर शिकायतें मिथ्या पाई जाती है।

अतः मिथ्या शिकायतों को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए विडियोग्राफी कराया जाना अति आवश्यक है, यदि किसी किसान/व्यक्ति द्वारा मिथ्या शिकायत की जाती है तो उसका विडियोग्राफी के आधार पर पुलिस में संबंधित केन्द्र द्वारा प्रकरण दर्ज करवाकर शिकायतकर्ता के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जावें ताकि खरीद व्यवस्था को पारदर्शितापूर्ण तरीके से सम्पन्न कराया जा सके।

18. दलहन–तिलहन खरीद उपरान्त भण्डारगृह में कृषि जिन्स का जमा नहीं होना –

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन–तिलहन की खरीद ऑनलाइन प्रक्रियानुसार की जाती है। क्रय केन्द्रों द्वारा किसान से क्रय की गयी कृषि जिन्स भण्डारगृह में जमा नहीं करवाये जाने पर संबंधित समिति एवं केन्द्र प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होगें एवं ऐसी खरीद के भुगतान व अन्य व्यय की जिम्मेदारी संबंधित समिति की होगी। ऐसे प्रकरणों में विभाग द्वारा संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

18.1 कई बार ऐसा भी संज्ञान में आता है कि कृषक द्वारा केन्द्र पर जिन्स तुलवाने के उपरांत विक्रय पर्ची पोर्टल पर अपलोड होने से रह जाती है। समिति द्वारा एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स क्रय करने पर भण्डारगृह में तो जिन्स जमा हो जाता है परन्तु ऑनलाईन खरीद दर्ज नहीं होने के कारण क्रय मात्रा खरीद प्रगति में शामिल नहीं हो पाती, वहीं दूसरी ओर कृषक को राजफेड द्वारा ऑनलाईन भुगतान करना भी संभव नहीं होता है। अतः सभी खरीद केन्द्रों का दायित्व है कि कृषक से क्रय किये गये जिन्स की विक्रय पर्ची अनुसार अनिवार्य रूप से पोर्टल पर क्रय मात्रा पूर्ण विवरण सहित दर्ज की जावें। भण्डारगृह में जिन्स जमा होने के उपरांत ऑनलाईन खरीद दर्ज नहीं होने की स्थिति में नैफेड से जिन्स वापिस प्राप्त करना एवं ऐसे किसान को भुगतान करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः यह स्थिति उत्पन्न न हो, सभी केन्द्र प्रभारी सुनिश्चित करें ताकि कृषकों को भुगतान में असुविधा न हो।

19. बारदाना व्यवस्था –

19.1 बारदाने की आपूर्ति नेफेड, कोलकाता एवं एनसीसीएफ जयपुर के माध्यम से की जा रही है इसके अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था हेतु राजफेड द्वारा बारदाना आपूर्ति के लिए ई–निविदा भी की गई है।

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त बारदाना एवं वितरीत बारदाने का समितिवार विवरण दैनिक रूप से पोर्टल पर दर्ज किया जावेगा। वर्तमान में एसबीटी 17.10 लाख नग बारदाना एवं एटी 76.18 लाख नग बारदाना उपलब्ध है जिसका उपयोग क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान खरीद में सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु खरीद प्रारम्भ होने के पूर्व क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा वेयरहाउस से खरीद केन्द्रों पर बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

यह भी उल्लेखनीय है कि समितियों द्वारा आवश्यकतानुसार गोदाम/एक समिति से दूसरी समिति पर भिजवाये जाने वाले बारदाने पर होने वाले पुर्नपरिवहन के खर्चों/क्लेम सीजन समाप्ति पर भिजवाया जान सुनिश्चित करें ताकि अपेक्षित कार्रवाई की जा सके। अतः खरीद आरंभ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंवे कि जिन खरीद केन्द्रों पर बारदाने की आवश्यकता है वहां आपके क्षेत्र की निकटतम समिति/भण्डारगृह में उपलब्ध बारदाने में से आवश्यकतानुसार बारदाना भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही भण्डारगृह में उपलब्ध नये बारदाने स्टॉक को प्राथमिकता से उठवाने का कष्ट करें।

नेफेड/एनसीसीएफ से प्राप्त होने वाले बारदाने का क्रय केन्द्र/भण्डारगृह पर सुरक्षित रूप से भण्डारण करवाया जाये ताकि केन्द्र पर खरीद के दौरान बारदाने का समुचित रूप से उपयोग किया जा सके। बारदाने की सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति का होगा।

एनसीसीएफ के कार्यक्षेत्र में आने वाले क्रय केन्द्रों पर एनसीसीएफ द्वारा सरसों एवं चने का बारदाना उपलब्ध कराने के प्रति आश्वस्त किया गया है एवं एनसीसीएफ के कार्यक्षेत्र में जो पूर्व का नेफेड से प्राप्त बारदाना उपलब्ध है को भी उपयोग में लेने की एनसीसीएफ द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। इस संबंध में एनसीसीएफ अधिकारियों के साथ दिनांक 25.03.2025 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति पृथक से भिजवाई जा चुकी है।

बारदाने की सम्पूर्ण आवश्यकता का आंकलन कर तत्काल राजफैड को अवगत कराया जावें, क्योंकि बारदाना आपूर्ति में 15–20 दिन का समय लगता है।

19.2 क्रय–विक्रय सहकारी समितियाँ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड स्तर पर बारदाने का स्टॉक रजिस्टर एनसीसीएफ एवं नेफेड नोडल एजेन्सी के कार्यक्षेत्र अनुसार पृथक–पृथक संधारित किया जावेगा।

19.3 बारदाने की सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति/केन्द्र का होगा। **समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन–तिलहन की खरीद हेतु केन्द्र पर प्राप्त बारदाने के उपयोग, आगजनी से सुरक्षा एवं भण्डारण आदि की सम्पूर्ण सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति का होगा। बारदाना उपयोग के उपरांत यदि कोई बारदाना शेष रहता है तो उसके सुरक्षित भण्डारण का दायित्व भी संबंधित समिति का होगा।**

बारदाने की गुणवत्ता प्रभावित न हो इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जावें ताकि शेष रहे बारदाने का आगामी खरीद में सुगमता से उपयोग किया जा सके।

19.4 बारदाने में गुणवत्ता की शिकायत

बारदाने की गुणवत्ता में शिकायत होने की स्थिति में अविलम्ब समिति व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी द्वारा खराब बारदाने की फोटाग्राफ सहित तत्काल अवगत करावें ताकि आपूर्तिकर्ता द्वारा केन्द्र पर जाँच हेतु सर्वेयर भिजवाया जा सकें। ऐसे बारदाने का जिन्स की भर्ती में उपयोग नहीं किया जाना है।

बारदाने में गुणवत्ता सम्बंधी शिकायत होने में बारदाना प्राप्ति के 1 सप्ताह में अवगत कराया जावें।

बारदाने की गुणवत्ता, शॉर्ट साईज आदि की शिकायत होने पर सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय राजफैड को समिति द्वारा सूचित करते हुए पंचनामा तैयार किया जावेगा। पंचनामा रिपोर्ट निम्न कमेटी द्वारा तैयार की जावेगी :–

1. व्यवस्थापक, क्रय–विक्रय सहकारी समिति
2. क्रय केन्द्र प्रभारी
3. मण्डी समिति का प्रतिनिधि
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफेड का प्रतिनिधि
5. केन्द्र पर पंजीकृत किसानों मे से उपस्थिति एक किसान

20. मार्का –

बोरियों पर **गहरा हरा रंग** का मार्का निम्नानुसार लगाया जाना हैं :–

1. नेफेड/एनसीसीएफ **(नोडल एजेन्सी के कार्यक्षेत्र अनुसार एक ही नोडल एजेन्सी का नाम अंकित किया जाना है)**
2. केन्द्र का नाम ....
3. **जिन्स – चना, सरसों रबी 2025–26**
4. **वजन – चना, सरसों 50 किलो नेट**
5. क्रय रजिस्टर में अंकित क्रमांक .... दिनांक ....
6. किसान का ऑनलाइन पंजीकरण क्रमांक .... दिनांक ....

21. बोरियों में जिन्स की भर्ती एवं सिलाई –

भर्ती के समय बारदाने में मानक (स्टेण्डर्ड) भर्ती का विशेष ध्यान रखा जावे। बारदाने में स्टेण्डर्ड भर्ती सरसों, चना हेतु प्रति कट्टा 50 किलो का ध्यान रखा जावें। स्टेण्डर्ड भर्ती से कम होने के कारण वजन पूर्ति हेतु अतिरिक्त बारदाना उपयोग में लिया जाता है तो बारदाने की कीमत समिति

से वसूल योग्य होगी। बारदाने में अधिक भर्ती होने का लाभ नोडल एजेन्सी द्वारा देय नहीं है एवं स्टैण्र्ड भर्ती से कम होने पर समिति उत्तदायी होगी, वजन अन्तर की राशि समिति से वसूली योग्य होगी। बोरियों की सिलाई अनिवार्य रूप से मशीन से की जावे। बोरियों की हाथ से सिलाई मान्य नहीं होगी।

22. क्यू.आर. कोड –

क्यू.आर. कोड की व्यवस्था सम्बन्धित खरीद की नोडल एजेन्सी द्वारा की जावेगी जिस हेतु क्यू.आर. कोड की मांग नेफेड/एनसीसीएफ को क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा भिजवाई जावे। खरीद समाप्ति के पश्चात् नेफेड/एनसीसीएफ से प्राप्त क्यू.आर. कोड की राशि का क्लेम खरीद के क्लेम के साथ प्रेषित किया जावे।

नेफेड/एनसीसीएफ से क्यू.आर. कोड प्राप्त नहीं होने तक पूर्व की प्रक्रियानुसार बिन्दु क्रमांक 20 अनुसार व्यवस्था की जावे।

23. इलेक्ट्रोनिक तुलाई मशीन, मोईश्चर मीटर, छाया–पानी एवं फर्स्टएड किट–

सभी क्रय केन्द्रों पर दलहन–तिलहन की तुलाई इलेक्ट्रोनिक तुलाई मशीनों के माध्यम से सुनिश्चित की जावे। **खरीद प्रारम्भ होने से पूर्व कांटे–बांट का प्रमाणीकरण आवश्यक रूप से कराया जावे।** समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद के सम्बन्ध में क्रय केन्द्रों पर छाया पानी, तिरपाल, रस्सी, खूंटे एवं फर्स्टएड किट आदि की व्यवस्था मण्डी प्रागण में खरीद सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए समिति स्वयं के साथ–साथ सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जावें।

राजफेड द्वारा निदेशक, कृषि विपणन को खरीद केन्द्रों पर आधारभूत व्यवस्था यथा छाया–पानी, बिजली, त्रिपाल, ग्रेडिंग मशीन आदि की व्यवस्थायें कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक 164–214 दिनांक 02.04.2025 से अनुरोध किया हुआ है अतः संबंधित मण्डी समितियों के माध्यम से केन्द्रों पर आवश्यक आधारभूत व्यवस्थायें सुनिश्चित करावें। मण्डी समिति के बाहर समर्थन मूल्य केन्द्रों पर मण्डी द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। अतः ऐसे केन्द्रों पर अपेक्षित व्यवस्थाएं जीएसएस द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। **मोईश्चर मीटर राजफेड द्वारा पूर्व में समितियों को उपलब्ध करवाये हुए है जिन्हें जाँच–परख कर दुरुस्त भी कर लेवें, आवश्यकता हो तो समितियाँ अपने स्तर पर मोईश्चर मीटर क्रय कर सकती है।**

24. क्रय जिन्स की सुरक्षा व्यवस्था –

क्रय केन्द्र पर क्रय जिन्स की सुरक्षा का प्रबन्ध समिति द्वारा सुनिश्चित किये जावे ताकि क्रय केन्द्र से कृषि जिन्स की चोरी व स्टॉक कम नहीं हो अर्थात् क्रय केन्द्र पर क्रय की गई स्टॉक की

सूरक्षा का दायित्व संबंधित समिति व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी का होगा। इस बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समिति द्वारा प्रतिदिन डे–क्लोज कर क्रय जिन्स की कुल मात्रा, भण्डारण मात्रा एवं पिड पर शेष रहे स्टॉक का पजेशन समिति के पास होने के कोलम पर पोर्टल में टिक करेंगे एवं प्रतिदिन रिपोर्ट उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने की सुनिश्चितता करेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड द्वारा साप्ताहिक रूप से समितिवार क्रय जिन्स की सूचना की पुष्टि करते हुए मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।

सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार समय–समय पर स्टॉक के निरीक्षण एवं सत्यापन करेगे एवं कोई अनियमितता उजागर होती है तो सम्बन्धित समिति को आवश्यक निर्देश देते हुये राजफेड मुख्यालय एवं विभाग को अवगत कराया जायेगा।

25. हैण्डलिंग परिवहन व्यवस्था –

समर्थन मूल्य पर चना, सरसों की खरीद हेतु राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों के लिए दिशा–निर्देश ई–बिड/एच एण्ड टी/लेखा/2025–26/6014–6116 दिनांक 10.02.2025, 5971–6013 दिनांक 10.02.2025 द्वारा पत्र से निर्देश जारी किये हुए है। तत्पश्चात् संशोधित निविदा शर्तें पत्र क्रमांक ई–बिड/एच एण्ड टी/लेखा/2025–26/6668–6774 दिनांक 05.03.2025, 6777–6882 दिनांक 06.03.2025 एवं स्पष्टीकरण पत्र क्रमांक 6945–7049 दिनांक 08.03.2025 तथा 7062–7162 दिनांक 10.03.2025 के व्यवस्था हेतु निर्देश दिये हुए है। **(परिशिष्ट–7 से 12)**

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में पुनः पाबन्द किया जाता है कि वित्तीय नियमों में किसी भी निविदा (टेण्डर) पर निर्णय वित्तीय शर्तों एवं नियमों के प्रकाश में अंतिम निर्णय लिये जाने की शक्ति व दायित्व संबंधित उपापन समिति का ही है और वित्तीय नियमों की यह मंशा है कि राजकीय संव्यवहारों में भाग लेने वाली फर्मों के बाबत किसी भी प्रकार का विवाद/संदेह अथवा भ्रांति न हो, इसी को रेखांकित करते हुए दिशा–निर्देशों व निविदा के वर्णित नियमों के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था यह सुनिश्चित कर लेवें कि भाग लेने वाली फर्में किसी भी रूप में लेशमात्र भी विवादित नहीं हो और न ही निविदादाता अकारण राजफेड के विरूद्ध पूर्व में अथवा वर्तमान में किसी न्यायालय व अन्य प्राधिकारी के समक्ष राजफेड के प्रतिपक्ष (विरोध) में हो।

कृषि जिन्स क्रय प्रक्रिया में संबंधित मण्डी की हैण्डलिंग कार्य की दर आधार दर रखी जा रही है। राजस्थान राज्य में स्थापित सभी राजकीय कृषि मण्डी समितियों की वर्तमान में प्रचलित नवीनतम हैण्डलिंग दरों की प्रति संबंधित कृषि उपज मण्डी से प्राप्त की जावें। इस हेतु कृषि विपणन निदेशालय को प्रेषित पत्र क्रमांक ई–बिड/एच एण्ड टी/लेखा/2025–26/5921–5970 दिनांक 10.02.2025 **प्रति संदर्भ हेतु परिशिष्ट–13 पर संलग्न है।** परिवहन टेण्डर प्रक्रिया के सन्दर्भ में यदि किसी प्रकार की स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), राजफेड, जयपुर से फोन नम्बर 0141–2740418 या ई–मेल **rajfed.fin_ac@yahoo.com.in** पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

1. हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिल सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफेड द्वारा समितिवार सकंलित कर पाक्षिक रूप से संलग्न चैक लिस्ट (परिशिष्ट–14) अनुसार भेजे जावे, ताकि नेफेड/एनसीसीएफ से पुर्नभरण समय पर प्राप्त कर हैण्डलिग एवं परिवहन का समितियों को भुगतान किया जा सके। बिल के अभाव में समितियों को पुर्नभरण देय नहीं होगा।

2. नियमानुसार ई. वे. बिल जारी करवाया जाना भी सुनिश्चित करें।

25.1 हैण्डलिंग एवं परिवहन के दौरान दुर्घटना/चोरी आदि बाबत ट्रांजिट बीमा –

क्रय केन्द्र पर खरीद उपरांत जिन्स परिवहन हेतु समिति द्वारा परिवहनकर्ता को संभलवाया जाता है। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि परिवहनकर्ता द्वारा जिन्स ट्रक में लोड करने के उपरांत भण्डारगृह में जमा न करवाकर खुर्द–बुर्द कर दिया गया है। इस तरह की घटनाओं की पुनर्रावृत्ति न हो एवं समिति को अनावश्यक हानि वहन नहीं करनी पडे के उद्देश्य से प्रत्येक ट्रक का चोरी दुर्घटना आदि का ट्रांजिट बीमा करवाया जावें। ट्रक में लोडिंग एवं परिवहनकर्ता को गेट पास संभलवाते समय भी विडियोग्राफी कराई जावें एवं परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन हेतु जिन्स प्राप्त करने की पुष्टि स्वरूप परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोबाईल नम्बर भी अंकित करवाए जाए।

25.2 जीपीएस इनएबल्ड वाहन –

रबी 2025–26 में दलहन–तिलहन का परिवहन जीपीएस युक्त वाहनों के माध्यम से ही करवाया जाना अनुमत है। इस क्रम में राजफेड के पत्र क्रमांक ई–निविदा/लेखा/2025–26/6777–6882 दिनांक 06.03.2025 **<u>परिशिष्ट–10</u>** द्वारा स्पष्ट किया हुआ है कि समस्त जिलों में परिवहन का कार्य जीपीएस युक्त वाहनों से किया जाएगा। निविदादाता, परिवहनकर्ता को स्थायी वाहनों की सूची निविदा फार्म के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

जहाँ ट्रक यूनियन हैं, वहाँ भी संबंधित निविदादाता द्वारा ट्रकों में जीपीएस डिवाईस लगाना अनिवार्य होगा। जीपीएस डिवाईस राजफेड द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। परिवहनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन के ड्राइवर एवं हैल्पर के मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही जीपीएस मोनेटरिंग टीम के साथ परिवहनकर्ता एवं वाहन पर कार्यरत कार्मिकों को समन्वय स्थापित करना अनिवार्य होगा।

जीपीएस व्यवस्था की प्रभावी मोनेटरिंग हेतु एयू स्मॉल बैंक से एप्प तैयार करवाया जा रहा है।

<u>26. हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों का प्रेषण एवं पुर्नभरण –</u>

1. हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिल समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों के अनुरूप तैयार करवाए जाए। हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों के साथ अपेक्षित दस्तावेजों की सूची संलग्न करना आवश्यक है इस हेतु चैक लिस्ट की प्रति **परिशिष्ट–14** पर संलग्न है। समिति द्वारा प्रथम बिल के

साथ निविदा कमेटी की दर स्वीकृत करने सम्बन्धी अनुशंषा की प्रति एवं समिति द्वारा जारी कार्य आदेश की प्रति बिल के साथ संलग्न कर प्रेषित की जावे।

2. क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बिलों के प्रमाणकों/सम्बन्धित दस्तावेजों की जाँच कर राजफेड क्षेत्रीय कार्यालय के बिल के साथ भिजवाये जाये।

3. नोडल एजेन्सी नेफेड/एनसीसीएफ के कार्यक्षेत्र अनुसार पृथक–पृथक बिल तैयार कर भिजवाए जाने है।

3. बिना बिलों के समितियों को हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों का भुगतान सम्भव नहीं होगा।

4. बिल पाक्षिक रूप से भेजे जावें।

5. क्षेत्रीय अधिकारी, बिलों को प्रधान कार्यालय भिजवानें से पूर्व क्रय–विक्रय समिति को हैण्डलिंग एवं परिवहनकर्ता संवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल बिल की प्रमाणित प्रति सभी समितियों से प्राप्त कर संलग्न करेंगें। तथा क्रय–विक्रय सहकारी समिति का प्रमाण पत्र "संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल की न्यूनतम दर एवं दूरी से जाँच कर ली गयी है तथा जाँच उपरांत सही पाया गया" भी प्राप्त कर संलग्न करेंगें।

6. भुगतान प्रक्रिया – **"सदस्य समितियों व संवेदकों को हैण्डलिंग व परिवहन क्लेम्स का भुगतान राजफेड द्वारा जारी हैण्डलिंग एवं परिवहन के दिशा–निर्देशों, निविदा शर्तों व प्रावधान अनुसार नेफेड/एनसीसीएफ से पुर्नभरण प्राप्त होने पर तदानुसार ही किया जावेगा।" हैण्डलिंग एवं परिवहन क्लेम्स का भुगतान सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत करने पर भी विचार किया जा सकता है।**

7. खरीद, हैण्डलिंग, परिवहन एवं अन्य खर्चों के संपूर्ण बिल खरीद समाप्त होने के पश्चात् 15 दिवस में समितियों द्वारा राजफेड क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किये जावे। इसके पश्चात् प्रेषित बिल स्वीकार नहीं किये जावेगें।

8. समिति से वसूल योग्य राशि का समायोजन उसको देय राशि में से किया जावेगा।

<u>27. भंडारण –</u>

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत क्रय दलहन–तिलहन का भण्डारण आरएसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी के गोदामों में करवाया जाता है। इस हेतु सीडब्ल्यूसी एवं आरएसडब्ल्यूसी के स्वयं के गोदाम, एमपेनेल्ड गोदाम, किराये पर अनुबंध आधार पर अनुबंधित गोदाम, वेयरहाउसिंग डवलपमेंट एण्ड अथॉरिटी (WDRA) दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिन्स भण्डारण हेतु भण्डारगृह उपलब्ध कराए जायेंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृत लक्ष्य के अनुरूप भण्डारण की व्यवस्था आरएसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी द्वारा कराई जानी अपेक्षित है। इस क्रम में भण्डारण एजेन्सियों द्वारा राजफेड/नेफेड एवं एनसीसीएफ को समय–समय पर क्रय केन्द्रों के निकटतम दूरी के आधार पर भण्डारगृह उपलब्ध कराने की व्यवस्था आरएसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी द्वारा की जावेगी। इस हेतु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारीगण केन्द्रवार निकटतम आरएसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी गोदामों के प्रथम तीन वरीयता अनुसार गोदाम तैयार कर मुख्यालय को प्रेषित करेंगे एवं खरीद के दौरान उक्त प्रेषित मूवमेन्ट प्लान के अतिरिक्त और कोई निकटतम गोदाम उपलब्ध होता है तो समय–समय पर संशोधित मूवमेन्ट प्लान से भी अवगत करावेंगे।

क्रय जिन्स का भंडारण आवश्यक रूप से अधिकतम तीन दिवस में कराया जावे। समिति द्वारा क्रय जिन्स का परिवहन राजफेड मुख्यालय द्वारा दिये गये वेयरहाउस मूवमेंट प्लान के अनुसार ही आवंटित भण्डारगृहों (आर.एस.डब्लू.सी/सी.डब्लू.सी.) में निर्धारित प्राथमिकता क्रम में करवाया जाना है। सभी क्षेत्रीय कार्यालय क्रय केन्द्रों से भण्डारगृह की दूरी के प्राथमिकता क्रम में मूवमेन्ट प्लान अविलम्ब उपलब्ध करावें। क्षेत्रीय कार्यालयों से मूवमेन्ट प्लान प्राप्त होने पर अनुमोदित मूवमेन्ट प्लान पृथक से भिजवाया जावेगा। अनुमोदित मूवमेंट प्लान से पृथक भण्डारगृह में भण्डारण अनुमत नहीं होगा। मूवमेंट प्लान में बिना राजफेड की स्वीकृति के संशोधन नहीं किया जावेगा तथा बिना स्वीकृति परिवर्तन का भुगतान राजफेड द्वारा नहीं किया जायेगा एवं संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लायी जा सकेगी। यदि खरीद के दौरान यदि कोई भण्डारगृह उपलब्ध होता है तो उसमें जिन्स भण्डारण की स्वीकृति उपरांत ही भण्डारण करवाया जावें। मूवमेंट प्लान हेतु प्रबन्धक (भण्डारण) से दूरभाष पर 0141–2740439 एवं ई–मेल **rajfedstorage@yahoo.com** पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

समिति द्वारा भंडारण हेतु जिन्स ट्रक में लोड किया जाकर त्रिपाल आदि से पूर्णतः कवर(**cover**) करवाया जाकर सील किया जावे। समिति द्वारा ट्रक में लोडिंग का कार्य दिन में कराया जावें एवं लोडिंग के समय समिति द्वारा अधिकृत कार्मिक की उपस्थिति सुनिश्चित की जावें। ट्रक में स्टेण्डर्ड भर्ती के कट्टों की ही लोडिंग(**loading**) की जावे। ट्रक को वेयरहाउस रवाना करने से पूर्व वेयरहाउस पर खाली होने की सुनिश्चितता कर ली जावें, ताकि वेयरहाउस पर अनावश्यक ट्रकों की लाईन न लगे। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यह सुनिश्चित करे। भंडारण हेतु आर.एस.डब्ल्यू. सी./सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया यदि कोई हो तो उनके स्तर से पृथक से जारी की जावेगी।

भंडारगृहों पर पहुँची गाडी को अधिकतम 48 घंटे में खाली कराने की जिम्मेदारी संबंधित वेयरहाउस प्रबन्धक की होगी। ऐसा नहीं होने पर जिम्मेवारी तय की जावे।

नेफेड, जयपुर को राजफेड के पत्र क्रमांक 322–342 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा यह अनुरोध किया गया कि माननीय सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा दलहन–तिलहन की खरीद हेतु समय–समय पर ली जा रही समीक्षा बैठकों में पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था से खरीद कार्रवाई सम्पन्न कराने हेतु निर्देश दिये जा रहे है। अतः नोडल एजेन्सी एनसीसीएफ की भाँति नोडल एजेन्सी नेफेड द्वारा भी क्रय केन्द्रों पर सर्वेयर लगाए जावे तथा प्रत्येक 5 केन्द्रों पर 1 सुपरवाईजर की नियुक्ति के साथ–साथ संभाग स्तर पर डिवीजन हैड भी लगाया जावे।

सभी खरीद केन्द्र भली–भाँति सुनिश्चित कर लेवे कि भण्डारण हेतु भिजवाया जाने वाला दलहन–तिलहन एफएक्यू श्रेणी का ही है। भण्डारण के दौरान यदि कोई जिन्स नॉन एफएक्यू पाया जाता है तो जिन्स को सम्बंधित किसान को भुगतान/जिन्स वापस लौटाने का दायित्व संबंधित समिति का होगा अर्थात नॉन एफएक्यू श्रेंणी जिन्स का भण्डारण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना है।

28. भंडारण रसीदें –

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम से ई डब्लू.आर की सॉफ्टकॉपी सीधे राजफेड को प्राप्त हो रही है। समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये जिन्स की भण्डारण रसीदों की हार्डकॉपी सभी क्रय केन्द्र बिना रिमार्क की भण्डारगृह से प्राप्त कर खरीद दिनांक से तीन दिवस में आवश्यक रूप से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफेड को भिजवाना सुनिश्चित करे। संबंधित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ उक्त व्यवस्था का सतत् पर्यवेक्षण करेगे। विलम्ब से प्राप्त भण्डारण रसीदें स्वीकार नहीं की जायेगी। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय दो दिवस में प्राप्त भण्डारण रसीदें मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगे। विलम्ब से प्राप्त होने वाली भण्डारण रसीदें नेफेड द्वारा स्वीकार नही की जावेगी। चना, सरसों की भंडारण रसीदें मूल कीमत +10 प्रतिशत खर्चो सहित नेफेड/एनसीसीएफ (कार्यक्षेत्र अनुसार नोडल एजेन्सी) द्वारा क्रय–विक्रय सहकारी समिति के नाम .... से बनवाकर प्राप्त की जावे, जिनमें किसी प्रकार की कटिंग स्वीकार्य नहीं होगी।

भण्डारण रसीदों पर बोरियों की संख्या, वजन नमी की मात्रा, गोदाम का नाम, स्टैक नम्बर एवं क्रय केन्द्र का नाम भी स्पष्ट अंकन होना अनिवार्य हैं। भण्डारण रसीदों के साथ नेफेड द्वारा भण्डारगृह पर नियुक्त सर्वेयर से सर्वेयर रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न की जानी है। **मूल भण्डारण रसीदों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त फोटोप्रति सर्वेयर रिपोर्ट सहित भी संलग्न कर भिजवायी जानी है।** **भंडारण रसीदें भिजवाने की जिम्मेदारी सबंधित समिति/केन्द्र की होगी। खरीद समाप्त होने के 20 दिवस में सम्पूर्ण भण्डारण रसीदें बिना रिमार्क की प्रेषित की जावे। इसके बाद भण्डारण रसीदें स्वीकार नहीं की जावेगी।** वेयरहाउस प्रबन्धक द्वारा उसी दिन वेयरहाउस रसीद की हार्ड कॉपी जारी करना अनिवार्य होगा। आर.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा समस्त वेयरहाउस रसीदें ऑनलाईन सॉफ्टवेयर से ही जारी की जावे। **पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि वेयरहाउस मैनेजर्स द्वारा सॉफ्टवेयर से डब्ल्यूआर जारी न कर केवल ऑफलाईन जारी कर दी थी, जिसके कारण ऑनलाईन एवं ऑफलाईन डब्ल्यूआर में अन्तर उत्पन्न हो गया था अतः समस्त डब्ल्यूआर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही जनरेट की जावें। वेयरहाउस मैनेजर्स द्वारा कतिपय प्रकरणों में डब्ल्यूआर में प्रविष्टियॉ गलत हो जाने पर हार्डकॉपी में दुरूस्ती कर दी गयी परन्तु सॉफ्टवेयर में नहीं की गयी जिससे अन्तर उत्पन्न हो जाता है अतः दुरूस्ती ऑनलाईन भी की जावें।**

आर.एस.डब्ल्यू.सी. भण्डारगृहों द्वारा जारी भण्डारण रसीदों के अनुरूप ही ई–डब्ल्यूआर भी संबधित भण्डारगृह से तत्काल जारी करायी जावें ताकि नेफेड/एनसीसीएफ से पुनर्भरण प्राप्त करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

भण्डारण रसीदें 2 प्रति में निम्न प्रारूप में मुख्यालय को समितिवार संकलित कर नेफेड/एनसीसीएफ नोडल एजेन्सी अनुसार पृथक–पृथक तैयार कर भिजवाई जाए :–

एक्सेल शीट (सॉफ्टकॉपी english(Times New Roman Font) का प्रारूप

S.no.	Samiti	Centre	Warehouse	WHR no.	Date	Katta	Weight (Qtl.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Total				-	-
		G. Total				-	-
		Previous Total of WR's				-	-
		Progressive Total				-	-

भण्डारण रसीदें पूर्ण सावधानी से जाँच उपरांत दो प्रतियों में एवं मूल पत्र की एक्सेल शीट (सॉफ्टकॉपी english) वाणिज्य शाखा की ई–मेल आई.डी. rajfed.mktg@yahoo.com पर **Times New Roman Font** में प्रेषित की जावें।

नोट – समिति का नाम, केन्द्र का नाम, भण्डारगृह का नाम प्रेषित किये जाने वाले पत्र में english में ही अंकित किया जावें । भण्डारण रसीदें जिन्सवार, समितिवार अलग–अलग योग लगाकर ही प्रेषित की जावे।

29. भण्डारगृह पर रिजेक्शन

वेयर हाउस में किसी प्रकार के रिजेक्शन में आवश्यक रूप से सर्वेयर से रिजेक्शन रिपोर्ट तैयार करवाई जावे जिस पर वेयर हाउस मैनेजर के हस्ताक्षर हो। भंडारगृहों पर नेफेड द्वारा नियुक्त सर्वेयरों द्वारा कृषि जिन्स स्टॉक अस्वीकृत करने के कारण पूर्व में गुणवत्ता संबंधी विवाद उत्पन्न हुए थे इसे ध्यान में रखते हुए **प्रमुख शासन सचिव सहकारिता के पत्र क्रमांक 459–609 दिनांक 06.04.18 संलग्न (परिशिष्ट–15) के द्वारा भंडारगृहों पर एफएक्यू श्रेणी जिन्स के सबंध मे निम्नानुसार गठन किया हुआ है:–**

1. आरएसडब्लूसी/सीडब्लूसी का प्रतिनिधि
2. नेफेड का प्रतिनिधि
3. कृषि विभाग का कृषि पर्यवेक्षक (जहॉ वेयरहाउस स्थित है उस जिले का)
4. सबंधित व्यवस्थापक– सदस्य सचिव

2. Fair Average Quality (FAQ) का ही दलहन–तिलहन भण्डारगृह में भण्डारित करवाया जाना है। Non Fair Average Quality (Non-FAQ) का दलहन–तिलहन किसी भी सूरत में भण्डारित नहीं करवाया जावें। **Non Fair Average Quality (Non-FAQ) के दलहन–तिलहन के लिए समिति स्वयं उत्तरदायी होगी। संबंधित कृषक को भुगतान या जिन्स लौटाने का दायित्व तथा हानि का दायित्व भी संबंधित समिति का होगा।**

3. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता के पत्र क्रमांक 459–609 दिनांक 06.04.18 संलग्न **(परिशिष्ट–15)** द्वारा गठित कमेटी में **सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक 12957–13052 दिनांक 29.03.2022 (परिशिष्ट–16) द्वारा कमेटी का पुर्नगठन किया गया है।** गठित कमेटी द्वारा क्रय जिन्स की गुणवत्ता पर विवाद होने पर **भण्डारण के दौरान निम्न प्रक्रिया आवश्यक रूप से अपनायी जावें :–**

1. सदस्य सचिव द्वारा कमेटी की बैठक का आयोजन किया जावेगा।
2. बैठक आयोजन के क्रम में नोटिस जारी किया जावेगा जिसमें तिथि, समय व विवाद विवरण का उल्लेख होगा।
3. बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. वेयरहाउस व नेफेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ही प्रतिनिधि नामित किये जा सकेंगे।
5. गुणवत्ता के क्रम में बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. क्रय कृषि जिन्स गुणवत्तायुक्त नहीं पाये जाने पर कारण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
7. वेयरहाउस में गुणवत्तायुक्त कृषि जिन्स का ही भण्डारण किया जा सकेगा।
8. गठित कमेटी अन्यथा स्थिति यथा भंग या संशोधन न होने की स्थिति में यथावत कार्य करती रहेगी।
9. क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता के क्रम में सदस्य कमेटी के मध्य मतांतर होने पर सभी सदस्यों के अभिमत कार्रवाई में अंकित किये जावे।
10. कमेटी की बैठक में सम्पन्न कार्रवाई से नेफेड व राजफेड को तत्काल अवगत कराया जावे।
11. कमेटी आवश्यक समझे तो संबंधित क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य को मताधिकार नहीं होगा।

एनसीसीएफ के कार्यक्षेत्र में आने वाले जिलों में नेफेड के स्थान पर एनसीसीएफ के प्रतिनिधि द्वारा कार्रवाई की जावेगी।

वेयरहाउस में किसी भी प्रकार के रिजेक्शन में आवश्यक रूप से सर्वेयर से रिजेक्शन रिपोर्ट तैयार करवायी जावें तथा उस पर वेयरहाउस मैनेजर के हस्ताक्षर हो ताकि कृषि जिन्स भण्डारण कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रखी जा सके।

30. नॉन एफ.ए.क्यू. स्टॉक का निस्तारण –

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स क्रय किया जाना मान्य नहीं होने के कारण राजफेड/नेफैड द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जावेगा इस हेतु सम्बन्धित समिति व्यवस्थापक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगें। नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी के जिन्स का संबंधित किसान

को भुगतान अथवा जिन्स वापिस लौटाने का दायित्व संबंधित समिति का होगा। नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी के जिन्स के निस्तारण में होने वाली हानि सम्बन्धित समिति से वसूली योग्य होगी। राजफेड द्वारा नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स का भुगतान नहीं किया जावेगा।

31. मण्डी टैक्स एवं कृषक कल्याण सेस –

राज्य सरकार द्वारा राजफैड के माध्यम से या अन्य अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से सरसों, चना की खरीद समर्थन मूल्य पर किये जाने पर रबी सीजन वर्ष 2025–26 में खरीद अवधि तक के लिये उक्त खरीद पर राज्य सरकार की मण्डी समितियों को देय मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की गई है। शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 10(2)कृषि/ग्रुप–2/75 दिनांक 10.03.2025 की प्रति संदर्भ हेतु परिशिष्ट–17 पर संलग्न है।

32. जी.एस.टी. –

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन चना की खरीद पर जीएसटी लागू नहीं है एवं सरसों पर नियमानुसार जीएसटी देय है। सदस्य समितियों द्वारा की गई कृषि जिन्सों की तिलहन की खरीद पर देय जीएसटी का नेफ़ेड/एनसीसीएफ द्वारा पुनर्भरण किया जावेगा। समस्त समितियाँ जीएसटी आर–1 रिटर्न की जीएसटी पोर्टल पर फाईल की गई प्रति, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र, बिल दिनांक से अधिकतम आगामी माह की 12 तारीख तक तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफेड को भिजवाना सुनिश्चित करेंगी एवं क्षेत्रीय कार्यालय राजफेड़ द्वारा जीएसटी आर–1 रिटर्न की प्रतियाँ समितिवार संकलित कर राजफेड को अधिकतम आगामी माह की 14 तारीख तक प्रेषित करेगी। माह की 14 तारीख के पश्चात् यदि जीएसटी क्लेम पर पैनल्टी लगती है तो इसके लिए संबंधित समिति जिम्मेदार होगी।

सदस्य समितियों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय राजफेड को तिलहन जिन्स के बिल के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र, ई–इनवॉइस की प्रति, बिल पर (6 डिजिट का एच.एस.एन. नम्बर, बिल नम्बर, दिनांक, समिति एवं राजफेड का जीएसटी नम्बर आपूर्ति स्थल, पिन कोड, जिन्स का नाम, जिन्स की मात्रा, दर एवं राशि आदि) आदि जीएसटी नियमानुसार प्रेषित किये जावेंगे। नियमानुसार कांटे गये बिल, ई–इनवॉइस, जीएसटी आर–1 रिटर्न (जीएसटी पोर्टल पर फाईल्ड) की प्रति जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं करने की स्थिति में जीएसटी राशि का भुगतान बाधित होने पर संबंधित सदस्य समिति उत्तरदायी होगी।

सदस्य समितियों के द्वारा जीएसटी आर–1 रिटर्न निर्धारित समयावधि में फाईल किया जाना सुनिश्चित किया जावे ताकि उसी अनुरूप जीएसटी राशि का पुनर्भरण किया जा सके। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारीगण इस बात की सुनिश्चितता करें कि समितियों द्वारा जीएसटी आर–1 रिटर्न भरने एवं जीएसटी जमा कराने संबंधित कार्रवाई निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जावें ताकि समितियों को अनावश्यक पेनल्टी वहन नहीं करनी पडे। क्षेत्रीय अधिकारीगण यह भी सुनिश्चित करें कि नेफ़ेड व

एनसीसीएफ के कार्यक्षेत्र अनुसार उनके अधीनस्थ समितियों के क्लेम एक साथ इकजाई कर मुख्यालय को प्रेषित किये जाए। सतत् पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।

33. किसानों को भुगतान –

खरीद प्रक्रिया के अन्तर्गत कृषकों से खरीद किये गये जिन्सों की राशि भुगतान राज्य सरकार के निर्देशानुसार सीधे ही उनके जन–आधार कार्ड में सीडेड बैंक खातों में ऑनलाईन किया जावेगा। भुगतान प्रक्रिया निम्नानुसार निष्पादित की जायेगी :–

1. **कृषक को एफ.ए.क्यू. श्रेणी जिन्स का भुगतान समिति द्वारा वेयरहाउस में जमा जिन्स के आधार पर किया जायेगा। अतः समिति क्रय जिन्स का भण्डारण अधिकतम तीन दिवस में किया जाना सुनिश्चित करे।**

2. क्रय केन्द्र प्रभारी प्रत्येक दिवस **खरीद समाप्त होने के पश्चात डे–क्लोज (गिरदावरी–टिकिंग)** करेगें तथा खरीद का रिकॉर्ड (गिरदावरी एवं खरीद पर्ची) से मिलान सुनिश्चित करते हुये पोर्टल पर अपडेट करेगें।

3. **व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा क्रय जिन्स के स्टॉक की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट जिसमें कुल खरीद, भण्डारगृह में जमा, पिड पर शेष स्टॉक समिति के पजेशन में होने आदि का विवरण संलग्न (परिशिष्ट–18) के अनुसार प्रमाण–पत्र पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज करना होगा एवं साप्ताहिक रूप से उक्त सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ को भी देनी होगी।**

4. खरीद रिकॉर्ड से मिलान पश्चात् भुगतान उसी दिन ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक रूप से अनुमोदित (अप्रूव) किया जायेगा।

5. क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा अनुमोदित खरीद को सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड द्वारा चेक कर डब्ल्यूआर तक की राशि का भुगतान अनुमोदित कर आईटी सैल प्रधान कार्यालय को भेजा जायेगा।

6. क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किसानों को किये जाने वाले भुगतान की सत्यापित सूची मुख्यालय द्वारा जनरेटेड शीट का वित्त अनुभाग द्वारा अधिकृत बैंक के माध्यम से किसानों के बैंक खातों की PFMS से किसान का नाम, IFSC कोड तथा बैंक खाता संख्या की जाँच करवाई जावेगी।

7. PFMS में जाँच उपरान्त सही पाये गये कृषक के बैंक खाते में सीधे ऑनलाईन भुगतान किया जावेगा।

8. लीड बैंक द्वारा जिन किसानों की असफल भुगतान (फेलीयर पेमैन्ट) रिपोर्ट किये जाते है अथवा जिन किसानों की गलत खातों में राशि हस्तान्तरित हो जाती हैं उनकी मॉनेटरिंग एवं सम्बन्धित क्रय–विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से किसानों के भुगतान सम्बन्धी समस्त सूचना आई.टी. सेल द्वारा लेखा शाखा से समन्वय स्थापित करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी।

9. **समर्थन मूल्य पर खरीद के दौरान पंजीयन कराते समय किसान के आधार लिंक बैंक खाते की पासबुक से मिलान कर सही खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर अंकित करवाया जाना संबंधित समिति व्यवस्थापक सुनिश्चित करें। किसान का खाता संख्या गलत होने पर भुगतान नहीं**

होने की स्थिति में किसान को देय राशि सम्बन्धित क्रय विक्रय सहकारी समिति को भेजी जावेगी। किसान सम्बन्धित क्रय विक्रय सहकारी समिति पर सम्पर्क कर भुगतान प्राप्त कर सकेगा। इस हेतु किसान के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर मैसेज भी दिया जायेगा।

10. क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा दैनिक रूप से डेक्लोज, खरीद का भुगतान एवं स्टॉक प्रमाण–पत्र अपडेट करने सम्बन्धित सूचना का पर्यवेक्षण सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा किया जावेगा।

11. उपरोक्त कार्रवाई के उपरान्त केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रतिदिन डे–क्लोज करना (गिरदावरी–टिकिंग) सुनिश्चित करेगें। डे क्लोज की भॉति किसानों की मूल गिरदावरी प्राप्त होने एवं सबधित समस्त रिकॉर्ड समिति में सुरक्षित होने के आशय की ऑनलाईन पुष्टि भी की जावेगी।

34. कानून व्यवस्था –

क्रय केन्द्र पर पारदर्शिता एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सी.सी. टीवी कैमरे लगाये जावे। क्रय केन्द्र पर आवश्यकतानुसार विडियोग्राफी कराई जा सकती है। कैमरे व विडियोग्राफी पर होने वाला व्यय संबंधित समिति द्वारा वहन किया जावेगा। समर्थन मूल्य खरीद के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा खरीद कार्य की प्रभावी मॉनेटरिंग एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिये सम्बन्धित जिला प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क रखा जावे। जिला कलक्टर से सम्पर्क कर समय–समय पर प्रगति से अवगत करावे। खरीद केन्द्र स्तर पर समर्थन मूल्य पर खरीद में आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग अनु–3 द्वारा आज्ञा क्रमांक 6(13) अनु–3/2018 दिनांक 17.04.2018 संलग्न परिशिष्ट–19 के अनुसार खरीद केन्द्र समन्वय एवं निगरानी समिति का निम्नानुसार गठन किया हुआ हैः–

1. सबंधित उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2. जिला रसद अधिकारी	सदस्य
3. उप पुलिस अधीक्षक/थाना इन्चार्ज संबंधित	सदस्य
4. उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ	सदस्य
5. प्रतिनिधि आरएसडब्लूसी/सीडब्लूसी	सदस्य
6. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति	सदस्य
7. क्रय–विक्रय सहकारी समिति/केन्द्र प्रभारी	सदस्य सचिव

पुलिस अधीक्षक, कानून व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 15(11) कानून व्यवस्था/2018–23/376 दिनांक 20.03.2023 **(संलग्न परिशिष्ट–20)** के द्वारा पूर्व में समस्त पुलिस अधीक्षक एवं समस्त उपायुक्त को खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इस हेतु फसल खरीद के दौरान आवश्यक पुलिस प्रबन्ध करने एवं कानून व्यवस्था

बनाये रखने हेतु निर्देशित किया हुआ है। अतः संबधित जिला/पुलिस प्रशासन से भी समन्वय बनाया रखा जावे।

मुख्य सचिव, राजस्थान स्तर से जिला कलक्टर को पत्र क्रमांक 14706–14793 दिनांक 21.10.20 संलग्न **परिशिष्ट–21** से पूर्व में क्रय केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु 1 से 4 का पुलिस बल लगाये जाने के निर्देश दिये हुये है। अतः सम्बन्धित जिला प्रशासन से सम्पर्क कर रबी 2025–26 खरीद अवधि के दौरान केन्द्र पर पुलिस बल लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

35. प्रचार–प्रसार –

रबी वर्ष 2025 में समर्थन मूल्य पर दलहन–तिलहन खरीद से संबंधित जानकारी किसानों एवं आमजन तक पहुँचाने हेतु प्रचार–प्रसार किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में मैसर्स हाईटेक डिजीटल प्लेट्स (I) प्रा0 लि0 कम्पनी, जयपुर को राजफेड के पत्र क्रमांक 7995–8008 दिनांक 08.03.2025 एवं दिनांक 20.03.2025 जिसकी प्रति सभी क्षेत्रीय अधिकारीगण को भी प्रेषित की गई है के द्वारा क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर 10x20 के 650 फ्लेक्स एवं 10x40 के 50 फ्लेक्स जिला कलक्टर एवं क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में लगाने हेतु पाबन्द किया गया है। अतः संबंधित स्थानों पर लगाए गए फ्लेक्स की फोटो भी मुख्यालय को भिजवाए।

(अ) सभी क्रय केन्द्रों पर प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करवाया जावे। आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों जिला परिषद/जिला पंचायत के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जावे। क्रय केन्द्रों पर फ्लेक्स बैनर में विशेष रूप से निम्नाकिंत तथ्यों को प्रदर्शित किया जावे :–

1. एफ.ए.क्यू. मापदडों एवं समर्थन मूल्य दर का प्रदर्शन।
2. क्रय केन्द्रों पर विक्रय हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची।
3. टोल फ्री नम्बर, क्रय केन्द्र प्रभारी, समिति व्यवस्थापक का नाम व मोबाईल नम्बर।
4. कृषक को ऑनलाईन बिल जारी कराने एवं एक प्रति प्राप्त करने हेतु सूचित किये जाने एवं तुलाई पर्ची

   समिति में जमा कराने बाबत फ्लेक्स बैनर के माध्यम से सूचित किया जावें।
5. समस्या समाधान हेतु संबंधित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ का नाम व मोबाईल नम्बर।
6. कृषक द्वारा वहनीय खर्चो की सूची।

(ब) बैनर – समर्थन मूल्य दलहन–तिलहन खरीद अन्तर्गत क्रय केन्द्रों/मण्डी परिसर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संलग्न <u>परिशिष्ट–22</u> अनुसार बैनर लगाये जाने है, जिसमें क्रय केन्द्र से संबंधित जिन्स के गुणवत्ता मापदण्डों, किसान द्वारा वहनीय खर्चों एवं संबंधित अधिकारियों के मोबाईल नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख हो।

36. विजिलेन्स –

माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 03.04.2025 को अपेक्स बैंक, जयपुर में दलहन–तिलहन खरीद व्यवस्थाओं की समीक्षा बाबत आयोजित बैठक में निर्देश दिये गए है कि विभाग द्वारा क्रय केन्द्रों के आकस्मिक विजिट के लिए विजिलेन्स टीम का गठन किया जाए एवं समय–समय पर उक्त टीम द्वारा क्रय केन्द्रों की विजिट भी की जाए। इस संबंध में विभाग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जा रहे है।

1. सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार ,सहकारी समितियाँ कार्यालय में समर्थन मूल्य खरीद हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जावे। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ जिले में संचालित खरीद केन्द्रों का सतत् रूप से सघन पर्यवेक्षण एवं मॉनेटरिंग करेगें एवं वह यह भी सुनिश्चित करेगें कि समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु राजफेड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना क्रय केन्द्रों द्वारा की जावे। गत खरीद में केन्द्रों पर खरीद उपरान्त स्टॉक कम होना, स्टॉक चोरी होना, समितियों द्वारा नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स खरीद किये जाने के प्रकरण सामने आये है। अतः सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ उक्त बिन्दुओं पर सघन निगरानी रखेगें, यदि कोई अनियमितता सामने आती है, तो अविलम्ब राजफेड मुख्यालय को अवगत कराते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेगे। समर्थन मूल्य पर किसानों से कृषि जिन्स की खरीद का कार्य सुगमता से एवं पारदर्शिता पूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सके की दृष्टि से इकाई अधिकारी(जिले का उप रजिस्ट्रार), समिति व्यवस्थापकों के एवं केन्द्र प्रभारियों के दायित्व तथा कम्प्यूटर ऑपरेटरों के दायित्व पत्र क्रमांक 15988–16388 दिनांक 09.11.2020 संलग्न परिशिष्ट–23 से निर्धारित किये हुए है। अतः संबंधित सभी से अपेक्षा की जाती है कि आपसी समन्वय स्थापित करवाते हुए खरीद कार्य को पारदर्शिता पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें एवं क्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण भी किया जावें।

2. संबंधित उप रजिस्ट्रारगण यह सुनिश्चित करवायें कि क्रय केन्द्रों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड के अनुरूप ही दलहन–तिलहन की खरीद की जाये। किसान द्वारा क्रय केन्द्र पर लाये जाने वाले जिन्स के संबंध में यदि गुणवत्ता विवाद उत्पन्न होता है तो इस परिपत्र के बिन्दु क्रमांक 15 के अनुसार गठित कमेटी के माध्यम से विवाद का निस्तारण करवाया जाये। केन्द्र पर जिन्स क्रय करने के उपरांत यदि भण्डारगृह पर गुणवत्ता संबंधी विवाद उत्पन्न होता है तो इस परिपत्र के बिन्दु क्रमांक 27 के अनुसार गठित कमेटी के माध्यम से गुणवत्ता विवाद का निपटारा करवाया जावे।

3. संबंधित उप रजिस्ट्रारगण यह भी सुनिश्चित करावें कि क्रय केन्द्रों द्वारा प्रचार–प्रसार की पूर्ण व्यवस्था की गयी है एवं इस हेतु निर्धारित प्रारूप अनुसार बैनर भी लगाये गये है।

4. क्षेत्रीय अधिकारीगण राजफेड, समितिवार लगाये गये बैनर की फोटो संकलित कर राजफेड मुख्यालय को भिजवाएगें।

सभी उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड को दैनिक रूप से ओ.पी.आर. जरिये ई–मेल प्रेषित की जावेगी। इस हेतु सम्बन्धित कार्यालयों के एक्टिव ई–मेल आई.डी. प्रेषित करावे। खरीद एवं भुगतान सम्बन्धी प्रगति कृषक विशेष या क्षेत्र विशेष की जन सूचना पोर्टल पर भी देखी जा सकती है।

प्रतिदिन खरीद प्रगति की सूचना पर ऑनलाईन अपडेट की जावे। सरसों, चना खरीद सम्बन्धी समस्त रिकॉर्ड एवं दस्तावेज पूर्ण रूप से सुरक्षित रखे जावें, ताकि ऑडिट के समय किसी तरह की असुविधा न हो।

क्षेत्रीय अधिकारी अपने क्षेत्र में स्थित खरीद केन्द्रों का सप्ताह में तीन दिवस प्रतिदिन कम से कम तीन केन्द्रों का विजिट/निरीक्षण करते हुए विजिट रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप संलग्न <u>परिशिष्ट–24</u> में विजिट समाप्त होने के दो दिवस के अन्तर आवश्यक रूप से महाप्रबन्धक (वाणिज्य) को भिजवाएगें।

उप रजिस्ट्रारगण भी समय–समय पर केन्द्रों का विजिट करे एवं संलग्न प्रारूप अनुसार विजिट रिपोर्ट प्रेषित की जावें। बटाईदार के पंजीयन की व्यवस्था बिन्दु क्रमांक 5 एवं खरीद प्रक्रिया 13.3 अनुसार निर्धारित है।

केन्द्रों पर बटाईदार के पंजीयन/खरीद के संबंध में रेण्डम आधार पर दस्तावेजों की जाँच भी की जावें। यदि किसी केन्द्र पर बटाईदारों के असामान्य पंजीकरण पाये जाते है तो उसके संबंध में भी तथ्यों की जाँच कर अवगत करावें। इसी प्रकार क्रय केन्द्रों के विजिट के दौरान कृषक/ई–मित्र द्वारा ऑनलाईन प्रक्रियानुसार अपलोड किये गये दस्तावेजों यथा गिरदावरी, बैंक पासबुक, जनाधार–कार्ड का क्रय केन्द्र पर मूल भौतिक रिकॉर्ड से मिलान किया जावें। यदि कोई विसंगति ध्यान में आती है तो उसका भी विजिट रिपोर्ट में आवश्यक रूप से उल्लेख किया जावें। क्रय केन्द्रों द्वारा खरीद के समय मूल गिरदावरी में वर्णित रकबे का स्पष्ट ध्यान रखा जावें।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आपके क्षेत्र के क्रय केन्द्रों पर समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत समर्थन मूल्य दर पर सरसों, चना की खरीद में निर्धारित गुणवत्ता मापदंडो का पूर्ण ध्यान रखा जावे। निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप सरसों, चना खरीद की जिम्मेवारी सम्बन्धित समिति की होगी।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

(टीकम चन्द बोहरा)
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रशासक, राजफेड एवं मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, कृषि/राजस्व, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि सहकारी विभाग स्तर से भी निर्देश जारी करने का श्रम करें।
8. निदेशक, कृषि, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, कृषि विपणन, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर ।
10. संभागीय आयुक्त (समस्त) ....
11. जिला कलक्टर (समस्त) ....
12. उपखण्ड अधिकारी (समस्त) ....
13. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा/कृषि/मा.स.वि./फैक्ट्री) राजफेड, जयपुर।
14. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मार्के), सहकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि समर्थन मूल्य दलहन/तिलहन की खरीद के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों को अपेक्षित विभागीय निर्देश जारी करवाने की व्यवस्था करे।
15. श्री आर.के. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डीओआईटी, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपर्युक्त आदेशों की सभी ई–मित्र कियोस्क धारकों से पालना सुनिश्चित कराने हेतु पाबन्द करें।
16. श्री एस.सी. गुप्ता, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, कमरा नं. 8318, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. राज्य प्रमुख, नेफेड/एनसीसीएफ, जयपुर।
18. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजफेड, जयपुर–उक्त आदेश राजफेड वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।
19. प्रबन्धक (भण्डारण), राजफेड, जयपुर।
20. उप प्रबन्धक (सेनि.), आईटी शाखा, राजफेड, जयपुर।
21. प्रचार अधिकारी, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रबन्ध निदेशक

परिशिष्ट - 1

Government of Rajasthan
Agriculture (Gr-1) Department,
Rajasthan, Jaipur

No.F.9(3)Agri.-1/Input/2025 Jaipur, Dated:- 28.01.2025

NOTIFICATION

Under the Price Support Scheme (PSS) for the procurement of **Gram and Mustard** on Minimum Support Prices in the year of 2025-26 as per the guidelines of GOI, a notification regarding Crop Calendar and Harvesting period of **Gram and Mustard** in Rajasthan State is required to be issued as part of the proposal.

Therefore, Government of Rajasthan hereby notifies and declares the sowing and harvesting time period of Rabi **Gram and Mustard** in the State of Rajasthan as under:-

Particulars	Rabi 2024-25
Sowing	Sept.-Nov. 2024
Harvesting	Feb.- April 2025

By order and in the name of Government of Rajasthan

(Navratan koli)
Dy. Secretary to the Govt.

No.F.9(3)Agri.-1/Input/2025 Jaipur, Dated:-

Copy to following for information and necessary action:

1. P.S. to Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
2. SA to Hon'ble Agriculture Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. SA to Hon'ble Minister, Food & Civil Supply Rajasthan, Jaipur.
4. SA to Hon'ble Minister, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
5. PS to Principal Secretary Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
6. PS to *PrincipalSecretary Food & Civil Supply Rajasthan, Jaipur.*
7. PS to Secretary, Agriculture &Horticulture, Rajasthan, Jaipur.
8. PS to Registrar, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
9. PS to Commissioner of Agriculture, Rajasthan Jaipur.
10. Joint Secretary, Co-operative, Secretariat, Jaipur.
11. Director, Deptt of Agriculture Marketing, Rajasthan Jaipur.
12. Managing Director, RAJFED, Rajasthan Jaipur.

Dy. Secretary to the Govt.

Signature valid

Digitally signed by N[illegible]atan Koli
Designation: Dep[illegible] Secretary To Government
Date: 2025.01.[illegible]7:11:46 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ6(iii) आ.कृ/मु.सा.अ./प्रोक्यो/दल0–तिल0/2025/2276-77 दिनांक 31/1/25

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय
संघ लि., 4 भवानी सिंह रोड़, जयपुर।

विषयः– रबी विपणन वर्ष 2025–26 में समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन की खरीद हेतु सम्भावित बुआई, उत्पादन एवं उपज की सूचना भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः– आपका कार्यालय पत्र क्रमांकः–वाणिज्य/2024–25/7946–7949 दिनांक 17.01.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के विषयान्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2025–26 में भारत सरकार के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर दलहन–तिलहन की खरीद हेतु जिलेवार बुवाई, सम्भावित उत्पादन, उत्पादकता एवं रबी सीजन 2025–26 में चना एवं सरसों फसलों की आवक की मुख्य अवधि की सूचना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंग्न – उपर्युक्तानुसार।

(टी0सी0 गुप्ता)
संयुक्त निदेशक कृषि (सांख्यिकी)

क्रमांकः–एफ6(iii) आ.कृ/मु.सा.अ./दल0–तिल0/2025/2276-77 दिनांक 31/1/25
प्रतिलिपि :–उप शासन सचिव कृषि (ग्रुप–1) विभाग को सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक कृषि (सांख्यिकी)

Signature valid
Digitally signed by T k Chand Gupta
Designation : irector
Date: 2025.01. 4:13:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13151119

REVISED First Advance Estimate Rabi- 2024-25

S.NO	DIST.	GRAM			RAPE & MUSTARD		
		AREA (HA)	PRODUCTION (TONNES)	YIELD (Kg/HA.)	AREA (HA)	PRODUCTION (TONNES)	YIELD (Kg/HA.)
1	AJMER	151200	169728	1123	61800	136384	2207
2	ALWAR	5256	8867	1687	144097	288147	2000
3	BALOTRA	950	950	1000	7119	9037	1269
4	BANSWARA	16524	19003	1150	7	24	3429
5	BARAN	46750	102850	2200	96300	231120	2400
6	BARMER	310	608	1961	10210	15211	1490
7	BEWAR	20530	36256	1766	4951	8659	1749
8	BHARATPUR	4055	8317	2051	147142	236883	1610
9	BHILWARA	92926	124985	1345	53868	79062	1468
10	BIKANER	160261	128209	800	199540	269379	1350
11	BUNDI	40662	58960	1450	48842	75705	1550
12	CHITTOR	103020	149379	1450	44798	64150	1432
13	CHURU	210000	102060	486	181348	157567	869
14	DAUSA	33750	54169	1605	65845	119443	1814
15	DEEDWANA-KUCHAMAN	38192	43730	1145	27146	34746	1280
16	DEEG	2100	2579	1228	115737	195783	1692
17	DHOLPUR	960	2339	2436	76000	159213	2095
18	DUNGARPUR	18000	23652	1314	223	185	830
19	GANGANAGAR	75393	87456	1160	272516	485078	1780
20	HANUMANGARH	149500	168400	1126	189654	379308	2000
21	JAIPUR	126561	169552	1340	87229	122949	1409
22	JAISALMER	142670	114136	800	58840	58840	1000
23	JALORE	22615	37541	1660	94633	136545	1443
24	JHALAWAR	43282	75744	1750	52989	90460	1707
25	JHUNJHUNU	50512	68595	1358	120092	200946	1673
26	JODHPUR	15775	18930	1200	71053	106574	1500
27	KAROLI	7347	11461	1560	109620	220336	2010
28	KHERTHAL-TIJARA	1150	1732	1506	87420	159742	1827
29	KOTA	59495	111732	1878	55261	110974	2008
30	KOTHPUTLI-BEHROR	4918	9000	1830	95115	197364	2075
31	NAGAUR	34500	38675	1121	37899	56296	1485
32	PALI	107159	150023	1400	67323	90886	1350
33	PHALODI	17995	21594	1200	104040	72828	700
34	PRATAPGARH	23090	37868	1640	4779	7205	1508
35	RAJSAMAND	5859	11718	2000	2081	2081	1000
36	S.MADHOPUR	30768	51690	1680	173325	303319	1750
37	SALUMBER	5260	6522	1240	660	924	1400
38	SIKAR	35654	40325	1131	57385	70434	1227
39	SIROHI	6010	5890	980	22400	35795	1598
40	TONK	115545	216179	1871	321079	551157	1717
41	UDAIPUR	21310	26467	1242	11632	16290	1400
State Total		**2047814**	**2517867**	**1230**	**3381998**	**5557029**	**1643**

7
41

परिशिष्ट-3

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक 3(2)राज-6/2007/पार्ट/5 जयपुर, दिनांक: 12.09.2018

1. समस्त संभागीय आयुक्त
2. समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प 2 (4) राज-4/98/37 दिनांक 13.12.1991 के अन्तर्गत मंदिर माफी/देवमूर्ति की भूमियों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये थे-

1. भविष्य में जो जमाबंदी राजस्व विभाग या बंदोबस्त विभाग द्वारा बनाई जाए, उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नही लिखा जाए।
2. प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा मे अलग से रखा जाए, जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है, उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जाए।
3. जो जमाबंदी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है, उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जाए तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जाए, इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जाए।

इसका संभावित उददेश्य यह था कि मंदिर भूमि का विधि विरुद्ध रूप में रहन या विक्रय न हो सके। इस आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी से पुजारियों के नाम हटाएं गए।

उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों की सही क्रियान्विति नही करने या गलत व्याख्या करने के कारण मन्दिर माफी की भूमियों के संबध में समस्याए राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई। अतः राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है:-

1. पूर्व परिपत्र दिनांक 13.12.91 की पालना में जमाबन्दी में मूर्तिमंदिर के साथ पुजारी का नाम विलोपित करने के साथ यदि पृथक से इस हेतु संधारित रजिस्टर में उसका अंकन नही किया गया हो तो

दिनांक 13.12.91 को जमाबन्दी में अंकित पुजारी/संचालक का नाम इस हेतु पूर्व निर्देशित पृथक रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाये।

2. राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में पुजारियों को मिली खातेदारी वाले पुजारी जिनका गलत रूप में विलोपन कर दिया गया है और जिन्हे पुनः खातेदारी दी जा सकती है। इस संबंध मे पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के उपरान्त दिनांक 24.5.2007 व परिपत्र दिनांक 25.11.2011 को जारी परिपत्र में इन्हे खातेदारी दिये जाने हेतु निर्देश व स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है, जिनका प्रकरणवार विधिक परीक्षण कर सही पाये जाने पर खातेदार बन चुके पुजारियो के नाम जमाबन्दी के खातेदार के कॉलम में अंकित किए जाने की यथोचित कार्यवाही की जाए।

3. परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के प्रावधानुसार मंदिर की भूमियों हेतु पृथक पंजिका बना कर उसमें पुजारियों के नाम दर्ज किये जावे, उसको पारदर्शी एवं नियमित रूप से अद्यतन रखने हेत पंजिका को ऑनलाईन कम्प्यूटराईज्ड रूप में एल.आर.सी. पर जमाबंदी से लिंक किये जाने की कार्यवाही की जाये। मंदिर से संबधित खाते की जमाबन्दी की नकल के साथ आवश्यक रूप से पुजारी का यह प्रपत्र अपने समुचित प्राधिकार के साथ जारी/प्रदान किया जाएगा।

4. मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में निम्नानुसार अनुमत/प्राधिकृत होंगेः—

- मंदिर, भूमि के विकास के लिए संबधित विभाग के नियमानुसार विद्युत, पेयजल, ट्यूबवेल आदि के लिए कनेक्शन हेतु।
- फराल खराबे की स्थिति में नियमानुसार सहायता अनुदान हेतु।
- कृषि विभाग की योजना अनुसार भूमि सीमा में पात्र होने पर बीज, कृषि उपादान आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त करने हेतु।
- इसी प्रकार राज्य सरकार की अन्य योजनाओं, जिसमें भूमि रहन न होती हो, उसमें उन्हे यथा प्रावधान लाभ दिया जा सकेगा।
- मंदिर के नाम बैंक खाता होने पर इसका संचालक एवं उपयोगकर्ता पुजारी को बनाया जा सकेगा। इसमें प्रत्येक पुजारी बहैसियत मंदिर के संरक्षक के रूप में नियमानुसार योजनांतर्गत लाभ हेतु अनुमत/प्राधिकृत होगा।

5. मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तद्नुसार प्रभावी निस्तारण करेंगे।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जागीर आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट-5

NAFED
60 Years in Service

नेफेड/जयपुर/खरीफ-24/2024-25/ 07

दिनांक : 01/04/2025

महाप्रबंधक (वाणिज्य),
राजफैड,
जयपुर,

विषय :- रबी-2025-26 में दलहन-तिलहन खरीद हेतु गुणवत्ता मापदंड के सम्बन्ध में ।
प्रसंग :- आपका पत्र दिनांक 24/03/2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में पत्र के साथ आगामी रबी-2025-26 में समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन-तिलहन की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदंडों की प्रति प्रेषित की जा रही है । कृपया समस्त खरीद केन्द्रों/समितियों को केवल संलग्न गुणवत्ता मापदंडों के अनुसार FAQ स्टाक की ही खरीद करने हेतु दिशानिर्देश जारी करें ।

धन्यवाद,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

राज्य प्रमुख

प्रतिलिपि :-

1. कार्यकारी निदेशक, राजस्थान राज्य भंडार निगम, जयपुर।
2. क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भंडारण निगम, जयपुर।

NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD.
3rd Floor, Nehru SahkarBhawan, Bhawani Singh Road, JAIPUR-302001
Tel: 91-141-2740796, 2740145 Fax: 91-141-2740736
E-mail :nafjpr@nafed-india.com Website: www.nafed-india.com; Twitter:@nafedindia

(5)

परीशिष्ट-5

Fair Average Quality (FAQ) Grade Specifications of Gram Whole (Desi) for procurement under Price Support Scheme (PSS)

Sr. No.	Special Characteristics	Maximum permissible limits of different refractions (% by weight per qtl.) for FAQ
1.	Foreign matter	1.0
2.	Other food grains	3.0
3.	Damaged grains	3.0
4.	Slightly damaged touched grains	4.0
5.	Immature shrivelled & broken grains	6.0
6.	Admixture	2.0
7.	Weevilled grains	4.0
8.	Moisture content	14.0

Definitions:

Foreign matter: Includes organic and inorganic matter. The inorganic matter shall include sand, gravel, dirt, pebbles, stones, lumps of earth, clay and mud. The organic matter shall include chaff, straw, weed seed and inedible grains.

General Characteristics:

a) Be the dried mature grains. (of Cicer Arietinum).
b) Have uniform size, shape and colour.
c) Be sweet, hard, clean, wholesome and free from moulds, living insects, obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances and all other impurities except of the extent indicated in schedule below:
d) Be in sound merchantable condition.
e) Conform to PFA Rules.

परिशिष्ट - 6

Fair Average Quality (FAQ) Grade Specifications of Rapeseed/Mustard seed for procurement under Price Support Scheme (PSS)

Sr. No.	Special Characteristics	Maximum limits of tolerance (% by weight per qtl.) for FAQ
1.	Impurities/ Foreign matter including Taramira	2
2.	Admixture with other types including Toria	10
3.	Unripe, Shrivelled or immature	4
4.	Damaged & weevilled	2
5.	Small atrophied seeds	10
6.	Moisture content	8

Note: Presence of all non-edible oilseeds, like Castor, Mahua, Neem etc.is prohibited.
Presence of Argemone seeds is also prohibited.

Definitions:

1. Impurities or Foreign matter includes dust, dirt, stones, lumps of earth, chaff, stems/ straw, taramira and any other impurity;
2. Admixture means other types of Sarson (including Toria);
3. Unripe and shrivelled or immature seeds are those which are not properly developed;
4. Damaged & weevilled seeds are those which are internally damaged or discoloured, damag and discolouration materially affecting the quality;
5. Small atrophied seeds means seeds which are not retained in sieves with 14 meshes per lir inch (1" = 2.54 cms). This factor will not be applicable to the juncea or nigra group of seeds,

परिशिष्ट-7

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकःफा.1/ई-बिड/एच.एन.टी./लेखा/2025-26/ 6014-6116 दिनांकः 10-02-2025

उप पंजीयक,
सहकारी समितियाँ,
....

विषयः-वर्ष 2025-26(अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन(रबी व खरीफ) खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की दरों के निर्धारण/प्रक्रिया बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि राजफैड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) में समर्थन मूल्य पर नेफैड के लिये दलहन/तिलहन (रबी व खरीफ) की खरीद की जानी है। इसके अन्तर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये फर्मो/आवेदकों/ठेकेदारों एवं दरों का निर्धारण किया जाना है। राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार हैण्डलिंग एवं परिवहन व्यवस्था हेतु क्रय-विक्रय सहकारी समिति स्तर पर जिले के उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ के अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से ई-बिड प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है।

1- राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनसुार हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये समस्त उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ द्वारा जिलें की संबंधित सदस्य समितिवार ऑन-लाईन द्वि-प्रक्रमी बिड प्रणाली(टू-बिड) के अनुसार ई-बिड जारी की जावें। हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये दर प्राप्ति एवं प्रक्रिया निम्नानुसार की जानी होगी :-

1.1 <u>हैण्डलिंग कार्य :</u>

मंडी में खरीद की जाने वाली जिन्सों में निम्न मदों के हैण्डलिंग कार्य कराये जाते है :-

<u>अ-कृषक स्तर के कार्य</u>

कृषक के वाहन से जिन्स उतारना, छनाई/ग्रेडिंग कराना,कंट्टे में भरना एवं कट्टे को कांटे पर रखना।

<u>ब-समिति स्तर के कार्य</u>

इसमें रंग मार्का, विवरण का टैग, क्यू.आर.कोड़ यदि लागू हो तो, यथासंभव मशीन से सिलाई, स्टेक लगाना, तुलाई, उतराई, ट्रक में लोडिंग करना आदि के व्यय (अधिकतम 10 प्रतिशत व्यय) सम्मिलित है। हैण्डलिंग कार्य के लिए आधार दर सम्बन्धित कृषि उपज राजकीय मंडी की दर होगी। ई-बिड में प्राप्त दरें तथा खरीद केन्द्र से सम्बन्धित राजकीय कृषि उपज मंडी समिति की दरों जो भी कम हो वही दर मान्य होगी। हैण्डलिंग कार्य में मंडी दर आधार दर से 10 प्रतिशत कम तक ही दर की बिड़ स्वीकार होगी। इस सीमा से कम दर की हैण्डलिंग कार्य की निविदा स्वीकार नहीं होगी। हैण्डलिंग कार्य के लिए बिड में प्राप्त दर तथा सम्बन्धित राजकीय कृषि उपज मंडी की निर्धारित दर दोनों में जो भी दर कम हो वह दर मान्य होगी।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

1.2 <u>परिवहन कार्य ::</u>

1.2(1) परिवहन कार्य हेतु क्रय किये गये दलहन/तिलहन परिवहन के लिए आधार दर इकजाई पीडीएस दर (26.39 रू. प्रति क्विं.) होगी। बिड में प्राप्त दर, परिवहन की आधार दर से अधिकतम 10 प्रतिशत कम की सीमा तक मान्य होगी। निविदादाता द्वारा इस सीमा से कम दर पर दी गई दरें अव्यवहारिक होने से अमान्य होगी। यदि निविदा में एल-1 निविदादाता द्वारा हैण्डलिंग आधार दर व पीडीएस आधार के बराबर दर दी जाती है तो इन आधार दर पर प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। यदि बिड में पीडीएस आधार दर से अधिक दरें प्राप्त होती है तो निर्धारित कमेटी द्वारा एल-1 बिडदाता से नेगोसियेशन किया जा सकेगा।

1.2(2) नेगोसियेशन पश्चात समिति द्वारा यदि दरें नेगोशिएटेड दरें पीडीएस आधार दर से 20 प्रतिशत अधिकतम तक सीमा में निश्चित होती है तो निविदा समिति अपनी अनुशंसा सम्बन्धित जिला स्तरीय निविदा समिति की अनुशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर की स्वीकृति व अनुशंसा सहित प्रकरण राजफैड मुख्यालय को प्रेषित किये जायेगे और कतिपय प्रकरणों विशिष्ट प्रकरणों में राजफैड मुख्यालय द्वारा पीडीएस से आधार दर से अधिक दरों की स्वीकृति प्रशासक राजफैड एवं मुख्य सचिव,राजस्थान से अनुमति Case to Case Basis आधार पर ली जाकर नेफैड की स्वीकृति हेतु प्रेषित की जायेंगी।

1.2(3) ई-बिड में हैण्डलिंग एवं परिवहन(दोनों) कार्य हेतु प्राप्त दरें 10 प्रतिशत से कम की सीमा तक ही स्वीकार की जायेंगी। पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि कतिपय ठेकेदार बिड को खराब करने के लिए बहुत कम दर भरते है तथा बाद में उक्त पर कार्य भी नहीं करते है। यदि प्राप्त दरें (हैण्डलिंग एवं परिवहन दर) आधार दर से 10 प्रतिशत कम है तो आधार दर की सीमा तक उतनी अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

2- अन्य दिशा-निर्देश :-

2.1- प्रवृत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार निविदा प्रक्रिया समर्थन मूल्य पर खरीद चालू होने से पूर्व पूर्ण की जानी चाहिये। किसी कारण से देरी हो जावे तो समक्ष स्तर से सहमति पश्चात किसी भी परिस्थिति में संबंधित खरीद सीजन समाप्ति दिनांक तक यह कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिये। इसकी सुनिश्चिता क्षेत्रीय कार्यालयों व उपरजिस्ट्रार कार्यालय स्तर से की जावेगी।

2.2- हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु वर्ष 2025-26 में आमंत्रित निविदा में स्वीकृत दरें दोनो सीजन (रबी व खरीफ) अर्थात पूरे वर्ष 2025-26 के लिए लागू होगी। मूंगफली के लिए हैण्डलिंग एवं परिवहन की दरें संवेदक निविदा प्रपत्र में पृथक से भरी जावेगी। यदि रबी के खरीद के दौरान कोई निविदा नहीं आती है और उसकेन्द्र पर खरीद भी नहीं हो। और अतिआवश्यक हो तो आगामी खरीफ सीजन के लिए निविदा इन दिशा-निर्देशों के क्रम में की जा सकेगी।

2.3- यदि कोई फर्म एक सीजन के लिए कार्य करने के उपरांत और दूसरे सीजन के लिए कार्य करने से मना करती है तो संबंधित उपापन संस्था द्वारा निविदा शर्त व अनुबंध प्रावधान के साथ-साथ आरटीपीपी एक्ट व नियम के अनुसार दोषी के विरूद्व कार्यवाही करते हुये नये सीजन बाबत निविदा कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ कर पूर्ण की जायेगी।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

2.4— मंडी दरों के अनुमोदन के लिए खरीद सीजन प्रारम्भ होने से पूर्व ही समस्त मंडी समितियों से कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से उप रजिस्ट्रार,सहकारिता कार्यालयों द्वारा तत्समय की प्रमाणित मंडी दरें प्राप्त कर ही निविदा कार्यवाही की जावे।

2.5— उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार,सहकारिता द्वारा जिलें की सदस्य समितिवार ई–बिड के माध्यम से दो लिफाफा बिड प्रणाली के अन्तर्गत प्रवृत्त दिशा–निर्देशों व निविदा प्रपत्र सहित आर.टी.पी.पी. एक्ट एवं नियमों के अनुसार बिड जारी की जानी होगी।

2.6— जिन स्थानों पर दो बार खुली ई–निविदा आमंत्रित करने के बाद निविदा प्राप्त नहीं होती है तो वहाँ कारण अंकित करते हुये उप रजिस्ट्रार,सहकारिता स्तर की निविदा समिति द्वारा सम्बन्धित जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर हैण्डलिंग कार्य मण्डी दर (आधार दर) पर और परिवहन कार्य पीडीएस आधार दर पर निविदा शर्तो के अनुसार पात्रता रखने वाले स्थानीय संवेदकों से सीमित निविदा/कोटेशन/एकल निविदा की कार्यवाही कर निविदा शर्तो के अनुसार पात्रता रखने वाले संवेदक/संस्था को संबंधित उप रजिस्ट्रार,कार्यालय द्वारा जिला कलक्टर के अनुमोदन उपरांत ही हैण्डलिंग एवं परिवहन संवेदक कार्य हेतु अनुशंसित किया जायेगा। एकल निविदा प्रकरण में चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी के निविदा शर्तो के अनुसार पात्रता रखने संबंधी सुनिश्चिता संबंधित उप रजिस्ट्रार,कार्यालय द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। यदि कोई सदस्य समिति स्वंय हैण्डलिंग एवं परिवहन का कार्य करती है तो उसे भी निविदा शर्तो के अनुसार पात्रता रखते हुये निविदा कार्यवाही में भाग लेना आवश्यक है तथा उसके द्वारा भी सभी पात्रता सहित संविदा/अनुबन्ध की शर्तो की पालना भी पूर्ण करनी होगी। सदस्य समिति द्वारा स्वंय हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य करने की स्थिति में जिला कलक्टर व उप रजिस्ट्रार द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि सदस्य समिति द्वारा पात्रता संबंधी समस्त शर्तो की पूर्ति कर ली है तथा वे इससे संतुष्ट है। कार्यकारी संस्था/संवेदक के लिए निविदा शर्तो और दिशा–निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी।

राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों के लिये हैण्डलिंग एवं परिवहन के कार्यो हेतु रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पत्र क्रमांक 15(27)संविरा/मार्के/स.मू.चना व सरसों/2018–19 दिनांक 28.03.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों के लिये हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की बिड खोलने एवं अन्तिम रूप दिये जाने हेतु निम्न कमेटी गठित है :–

सम्बन्धित इकाई का उप पंजीयक	—	अध्यक्ष
जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि	—	सदस्य
सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड/प्रतिनिधि	—	सदस्य
नेफैड का प्रतिनिधि	—	सदस्य
सम्बन्धित व्यवस्थापक ,क्र.. वि.स.स.	—	सदस्य सचिव

उक्त कमेटी की अनुशंसा पर सम्बन्धित फर्म/आवेदक/ठेकेदार को कार्य आदेश सम्बन्धित क्रय–विक्रय सहकारी समिति द्वारा दिया जावेंगा। फर्म /आवेदक/ठेकेदारों की ब्लैकलिस्टेड की सूची एवं निविदा प्रपत्र राजफैड की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त निविदा प्रपत्र शर्तों में इस बाबत घोषणा पत्र की पालना आवश्यक करावें।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

किसी संशय अथवा समस्या के उत्पन्न होने की स्थिति में राजफैड से दिशा-निर्देश प्राप्त करें,ताकि सभी जगह एकरूपता बनी रहें।

रबी 2025 की खरीद प्रक्रिया मध्य 15 मार्च 2025 से प्रारम्भ होना संभावित है। अतः समस्त रूप से 10 मार्च 2025 तक बिड प्रक्रिया पूर्ण कर हैण्डलिंग एवं परिवहन की दरें निर्धारित कराकर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को कार्य आदेश जारी दिया जाना सुनिश्चित कर राजफैड मुख्यालय को अवगत करावें।

निविदा कार्य समय पर पूर्ण हो इस हेतु प्रशासक राजफैड एवं मुख्य सचिव,राजस्थान की ओर से एक पत्र पृथक से सम्बन्धित जिला कलेक्टर एवं रजिस्ट्रार,सहकारिता को प्रेषित कर दिया गया है।

समस्त उप रजिस्टार,सहकारिता अपने अधीनस्थ खरीद केन्द्र के क्षेत्र अधिकार वाली राजकीय मंडी दरों का विवरण खरीद सीजन प्रारम्भ होने से निविदा पूर्व ही कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से तत्समय प्रमाणित मंडी दरें प्राप्त कर लेवें।

पत्र के साथ ही सक्षम स्तर से अनुमोदित निविदा प्रपत्र शर्तो इत्यादि संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। आप अपने क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड से अविलम्ब सम्पर्क व सहयोग प्राप्त कर उक्त कार्य सम्पादित करावें।

भवदीय,

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध संचालक,राजफैड

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः-

1- निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार,सहकारिता विभाग,जयपुर।
2- निजी सचिव,जिला कलक्टर,...।
3- अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ,अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/उदयपुर/भरतपुर।
4- राज्य प्रमुख,नेफैड,जयपुर।
5- महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा/वाणिज्य/कृषि आदान/मा.सं.वि.)राजफैड,जयपुर।
6- क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड-अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/श्रीगंगानगर/जयपुर/उदयपुर।

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध संचालक,राजफैड

परिशिष्ट-8

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302001

4, BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR-302 001

क्रमांकः-फा.1/ई-बिड/एच.एन.टी./लेखा/2025-26/5971-6013 दिनांकः 10-02-2025

जिला कलक्टर,

....

विषयः-वर्ष 2025-26 के लिए रबी व खरीफ(दोनों) सीजन के लिए समर्थन मूल्य पर जिंस खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन की निविदा समय पूर्व करने हेतु।

महोदय,

जैसा कि विदित है कि हर वर्ष की भॉति इस वर्ष 2025-26 में भी भारत सरकार के निर्देशानुसार नेफैड/एफ.सी.आई. के लिए रबी व खरीफ सीजन के लिए जिंसों की खरीद की जानी हैं। अतः यह निर्णय हुआ है कि हर वर्ष की भॉति वर्ष 2025-26 में भी सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांकः 15(27)सविरा/मार्के/स.मू. चना व सरसों/2018-19 दिनांक 28.03.2018 के अनुसार उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ,राजस्थान सरकार द्वारा निविदा प्रक्रिया सम्बन्धित जिला कलक्टर की देख रेख में उक्तानुसार प्रवृत्त दिशा-निर्देशों व निविदा शर्तो के अनुसार यह कार्य दिनांक 10.03.2025 तक सम्पूर्ण किया जावें।

मुख्य सचिव महोदय एवं संघ के प्रशासक के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निवेदन है कि आपके अधीन सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ को निर्देशित कर सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित उक्त निविदा कार्यवाही समय पर पूर्ण कर ली जावें।

भवदीय,

(टीकमचन्द बोहरा)
प्रबन्ध संचालक,राजफैड

प्रतिलिपिः-

1- निजी सचिव,रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ, राजस्थान-जयपुर।
2- मुख्य सर्तकता अधिकारी एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मार्के),सहकारी समितियॉ, जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके अधीन सभी उपरजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ को दिनांक 10.03.2025 तक निविदा कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश जारी करें।

(टीकमचन्द बोहरा)
प्रबन्ध संचालक,राजफैड

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

परिशिष्ट-9

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकःफा.01/ई-निविदा/लेखा/2025-2026/ 6668-6774

दिनांकः 05-03-2025

संशोधित निविदा की शर्तें

अत्यावश्यक

उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
समस्त।

विषयः-वर्ष 2025-2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं के संबंध में।

प्रसंगः-राजफेड के पूर्व पत्रांकः 6196-6295 दिनांक 10.02.2025 व पत्रांकः 6544-6642 दिनांक 04.03.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम अनुरोध है कि वर्ष 2025-2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं में पूर्व जारी दिशा-निर्देशों व निविदा प्रपत्र में संशोधन किया गया है। जो कि निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं	वर्तमान शर्तें	संशोधित शर्तें
1.	**चैक लिस्ट संख्याः 8 व बोली की अन्य शर्तें संख्या 7 में :-** गत पाँच वर्षों में से अन्तिम तीन वर्षों का हैण्डलिंग कार्य हेतु (क्रय-विक्रय सहकारी समिति/आर.एस.डब्ल्यू.सी./ सी.डब्ल्यू.सी./भारतीय खाद्य निगम) एवं परिवहन कार्य हेतु दलहन/तिलहन/खाद्यानों सम्बन्धित परिवहन कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र दिया जाना होगा।	गत सात वर्षों में से दो वर्षों में हैण्डलिंग/परिवहन कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा। किंतु अनुभव नहीं रखने वाले निविदादाता निविदा आवेदन के साथ टेण्डर वेल्यू की 20 प्रतिशत राशि बैंक गारंटी के रूप में संबंधित उपापन संस्था/उपापन इकाई (Procurement Entity) में जमा कराना अनिवार्य होगा।
2.	**चैक लिस्ट संख्याः 9 व बोली की अन्य शर्तें संख्या 8 में :-** गत पाँच वर्षों में से कुल टर्नओवर प्रतिवर्ष न्यूनतम 70.00 लाख रू. हो जिसमें लगातार अन्तिम तीन वर्षों का न्यूनतम 50.00 लाख रू. का टर्नओवर खाद्यानों के परिवहन व हैण्डलिंग कार्य से हुआ हो। टर्नओवर की पुष्टि हेतु सनदी लेखाकार से प्रमाणित लेखें (व्यापार खाता, लाभ-हानि खाता, बेलेन्स शीट) के आधार पर सनदी लेखाकार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।	गत सात वर्षों में औसत 20.00 लाख रू. का टर्नओवर हो। टर्नओवर की पुष्टि हेतु सनदी लेखाकार से प्रमाणित लेखें (व्यापार खाता, लाभ-हानि खाता, बेलेन्स शीट) के आधार पर सनदी लेखाकार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3.	**चैक लिस्ट संख्याः 11 व बोली की अन्य शर्तें संख्या 15 में :-** हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार द्वारा न्यूनतम स्वंय के नाम से कम से कम 10 ट्रकों के रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रतियाँ अथवा उसकी फर्म का 10 ट्रकों का दीर्घकालिक अनुबन्ध होने संबंधी घोषणा पत्र, 100 रू. स्टाम्प पेपर पर, आवेदन के साथ मय विवरण पत्र संलग्न किया जाना होगा।	हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार द्वारा न्यूनतम स्वंय के नाम से कम से कम 5 ट्रकों के रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रतियाँ अथवा उसकी फर्म का 5 ट्रकों का दीर्घकालिक अनुबन्ध होने संबंधी घोषणा पत्र, 500 रू. स्टाम्प पेपर पर व ट्रकों का फिटनेस प्रमाण-पत्र व बीमा प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। जो आवेदन के साथ मय विवरण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
4.	यदि कोई सदस्य समिति हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य करने हेतु निविदा में भाग लेती है तो उस समिति को कार्यानुभव देने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही समिति के व्यवस्थापक निविदा कमेटी में सदस्य के रूप में भाग नहीं ले सकेगें। इसके लिए संबंधित उपरजिस्ट्रार के निर्देशानुसार समिति व्यवस्थापक के स्थान पर अन्य सदस्य को निविदा कमेटी में भाग लेने हेतु अधिकृत किया जायेगा। **(नयी शर्त जोड़ी गई)**	

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

5.	सफल निविदादाता कार्य छोड़कर चला नहीं जाये अथवा खरीदशुदा जिंसों को नहीं ले जा सकें अथवा जिंसो को वेयरहाउस में जमा नहीं करवाकर खुद-बुर्द कर देवें,ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए,इसके लिए सफल निविदादाता से उसको दिये गये कार्यादेश की राशि का 50 प्रतिशत बैंक गारंटी के तौर पर संबंधित उपापन संस्था/उपापन इकाई (Procurement Entity) को जमा करानी होगी, जिसे कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित करने पर लौटा दी जायेगी। **(बोली की अन्य शर्ते संख्याः 25 में जोड़ा जाये)**

उपरोक्त के संबंध में जिन भी संवेदक/ठेकेदारों/फर्मो/निविदादाताओं द्वारा जो भी राशि निविदा कमेटी को जमा कराई गई, उन्हें वापिस लौटाई जानी है तथा नये सिरे से संशोधित शर्तों के अनुसार राशि जमा की जायेगी।

समर्थन मूल्य पर खरीद शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रही हैं। अतः समयाभाव एवं अत्यावश्यक्ता को मद्देनजर रखते हुए आर.टी.पी.पी. एक्ट व नियमों के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की नियत अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुए आधी समयावधि में निविदा आमंत्रित किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

उपर्युक्त के अलावा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश एवं निविदा-प्रपत्र में शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध निदेशक,राजफैड

प्रतिलिपिः-

1- निजी सचिव,माननीय सहकारिता मंत्री महोदय,राजस्थान-सरकार।
2- निजी सचिव,प्रशासक राजफेड व मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान-जयपुर।
3- निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव व रजिस्ट्रार महोदया,सहकारिता विभाग,जयपुर।
4- निजी सचिव,जिला कलक्टर,समस्त।
5- निजी सचिव,प्रबन्ध संचालक,राजफैड,जयपुर।
6- अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ,समस्त।
7- महाप्रबन्धक(वित्तीय सलाहकार/वाणिज्य/कृषि आदान/मा.स.वि.)राजफेड-जयपुर।
8- राज्य प्रमुख,नेफैड,जयपुर।
9- क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड-समस्त को भेजकर अनुरोध है कि उक्तानुसार निविदा की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करें।

प्रबन्ध निदेशक,राजफैड

परिशिष्ट - 10

GST No.: 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकःफा.01/ई-निविदा/लेखा/2025-2026/ 6777-6882 दिनांकः 06.03.2025

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

URGENT

उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
समस्त।

विषयः-वर्ष 2025-2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं के संबंध में।

प्रसंगः-राजफेड के पूर्व पत्रांकः 6196-6295 दिनांक 10.02.2025 व पत्रांकः 6544-6642 दिनांक 04.03.2025 के क्रम में व पत्रांकः 6668-6774 दिनांक 05.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में वर्ष 2025-2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं में पूर्व जारी दिशा-निर्देशों व निविदा प्रपत्र में नयी शर्तें का समायोजित किया जाना है। जो कि निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं	अतिरिक्त शर्तें
1.	समस्त जिलों में परिवहन कार्य जी.पी.एस. युक्त वाहनों से किया जायेगा। निविदादाता परिवहनकर्ता को अपने स्थायी वाहनों की सूची निविदा फार्म के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
2.	जहाँ ट्रक यूनियन हैं, वहाँ भी संबंधित निविदादाता द्वारा ट्रकों में जी.पी.एस. डिवाईस लगवाना अनिवार्य होगा। जीपीएस डिवाईस राजफैड द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
3.	परिवहनकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन के ड्राईवर व हेल्पर के मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराने होगें, साथ ही जी.पी.एस. मोनिट्रिरिंग टीम के साथ परिवहनकर्ता एवं वाहन पर कार्यरत व्यक्तियों को समन्वय स्थापित करना अनिवार्य होगा।

संशोधित शर्तें :-

क्र.सं	संशोधित शर्तें में जोड़ना
1.	**बोली की अन्य शर्तें : 11 में** पूर्व में ब्लेकलिस्टेड/प्रतिबंधित फर्म एवं उसके स्वामी/पार्टनर नये नाम की फर्म/कम्पनी बनाकर भी निविदा में शामिल नहीं हो सकेंगी।
2.	**संशोधित शर्तें के पूर्व पत्रांकः 6668-6774 दिनांक 05.03.2025 के बिन्दु संख्याः 4 में जोड़ा जावें :-** निविदादाता क्रय-विक्रय सहकारी समिति(सोसायटी) होने पर कार्यादेश की राशि का 20 प्रतिशत बैंक गारंटी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड के पक्ष में संबंधित उपापन संस्था/उपापन इकाई (Procurement Entity) को जमा करानी होगी, जिसे कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित करने पर लौटा दी जायेगी।
3.	**संशोधित शर्तें के पूर्व पत्रांकः 6668-6774 दिनांक 05.03.2025 के बिन्दु संख्याः 5 में जोड़ा जावें :-** किंतु राजफैड द्वारा की जाने वाली समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद का पूर्व में तीन वर्षों का अनुभव रखने वाली फर्म/कम्पनी को क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड के प्रमाण-पत्र के आधार पर कार्यादेश की राशि का 20 प्रतिशत बैंक गारंटी संबंधित उपापन संस्था/उपापन इकाई (Procurement Entity) को जमा करानी होगी, जिसे कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित करने पर लौटा दी जायेगी। **(बोली की अन्य शर्तें संख्याः 25 में जोड़ा जाये)**

भवदीय,

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध निदेशक,राजफैड

AAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

प्रतिलिपिः-

1- निजी सचिव,माननीय सहकारिता मंत्री महोदय,राजस्थान-सरकार।
2- निजी सचिव,प्रशासक राजफेड व मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान-जयपुर।
3- निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव व रजिस्ट्रार महोदया,सहकारिता विभाग,जयपुर।
4- निजी सचिव,जिला कलक्टर,समस्त।
5- निजी सचिव,प्रबन्ध संचालक,राजफैड,जयपुर।
6- अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ,समस्त।
7- महाप्रबन्धक(वित्तीय सलाहकार/वाणिज्य/कृषि आदान/मा.स.वि.)राजफेड-जयपुर।
8- राज्य प्रमुख,नेफैड,जयपुर।
9- क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड-समस्त।

प्रबन्ध निदेशक,राजफैड

2/2

परिशिष्ट-11

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR-302 001

क्रमांकः एफ.01/ई-निविदा/लेखा/2025-2026/ 6945-7049 दिनांकः 08.03.2025

स्पष्टीकरण

उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
समस्त।

विषयः-वर्ष 2025-2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं के संबंध में।

प्रसंगः-राजफेड के पूर्व पत्रांकः 6196-6295 दिनांक 10.02.2025 व पत्रांकः 6544-6642 दिनांक 04.03.2025 के क्रम में व पत्रांकः 6668-6774 दिनांक 05.03.2025 व पत्रांकः 6777-6882 दिनांक 06.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में वर्ष 2025-2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं में पूर्व जारी दिशा-निर्देशों व निविदा प्रपत्र में संशोधित शर्तें व नयी शर्तें को समायोजित किया गया था। लेकिन उपरजिस्टार/क्षेत्रीय अधिकारी एवं कुछ फर्मो द्वारा लगातार पत्र व्यवहार व दूरभाष पर शर्तों के संबंध में सूचनाओं से अवगत कराया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता हैं :-

1- **<u>चैक लिस्ट संख्याः 8 व बोली की अन्य शर्तें संख्या 7</u> एवं <u>बोली की अन्य शर्ते संख्याः 25.1</u>**

<u>स्पष्टीकरण :-</u>

सफल निविदादाता कार्य छोड़कर चला नहीं जाये अथवा खरीदशुदा जिंसों को नहीं ले जा सकें अथवा जिंसो को वेयरहाउस में जमा नहीं करवाकर खुद-बुर्द कर देवें, ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए,इसके लिए सफल निविदादाता से उसको दिये गये कार्य की अनुमानित लागत की राशि का 50 प्रतिशत बैंक गारंटी के तौर पर कार्यादेश से पूर्व निविदादाता फर्म संबंधित समिति को जमा करानी होगी, जिसे कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित करने पर लौटा दी जायेगी।

2- **<u>बोली की अन्य शर्ते संख्या 30</u>**

<u>स्पष्टीकरण :-</u>

निविदादाता क्रय-विक्रय सहकारी समिति(सोसायटी) होने पर कार्य की अनुमानित लागत की राशि का 20 प्रतिशत बैंक गारंटी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड के पक्ष में जमा करानी होगी,जिसे कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित करने पर लौटा दी जायेगी।

3- **बोली की अन्य शर्ते संख्याः 25.2**

<u>स्पष्टीकरण :-</u>

किंतु राजफैड द्वारा की जाने वाली समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद का पूर्व में तीन वर्षो का अनुभव रखने वाली फर्म/कम्पनी को क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड के प्रमाण-पत्र के आधार पर कार्य की अनुमानित लागत की राशि का 20 प्रतिशत बैंक गारंटी के तौर पर कार्यादेश से पूर्व निविदादाता फर्म संबंधित समिति को जमा करानी होगी, जिसे कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित करने पर लौटा दी जायेगी।

4- निविदा प्रपत्र के पेज संख्याः 18 के बिदुं संख्याः 2.3 में स्पष्ट किया जाता हैं कि कमेटी के समक्ष एल-1 फर्मो की समान दरें प्राप्त होती है तो उस स्थिति में निविदा कमेटी संबंधित फर्मो की विडियोग्राफी करवाते हुए लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर एल-1 फर्म का चयन किया जायेगा।

भवदीय,

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध निदेशक,राजफैड

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

प्रतिलिपिः–

1– निजी सचिव,माननीय सहकारिता मंत्री महोदय,राजस्थान–सरकार।
2– निजी सचिव,प्रशासक राजफेड व मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान–जयपुर।
3– निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव व रजिस्ट्रार महोदया,सहकारिता विभाग,जयपुर।
4– निजी सचिव,जिला कलक्टर,समस्त।
5– निजी सचिव,प्रबन्ध संचालक,राजफैड,जयपुर।
6– अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ,समस्त।
7– महाप्रबन्धक(वित्तीय सलाहकार/वाणिज्य/कृषि आदान/मा.स.वि.)राजफेड–जयपुर।
8– राज्य प्रमुख,नेफैड,जयपुर।
9– क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड–समस्त।

प्रबन्ध निदेशक,राजफैड

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

परिशिष्ट-12

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांक: 7062-7162 दिनांक: 10.03.2025

उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
....

विषयः– वर्ष 2025–26 में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन की निविदाएँ समय पर सम्पादित करवाने बाबत।

प्रसंगः– राजफेड द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 10.02.2025 व 18.02.2025 एवं संशोधित निविदा प्रपत्र एवं शर्ते दिनांक 05.03.2025 व 06.03.2025।

महोदय,

जैसाकि आपको विदित है कि राज्य में 01 अप्रेल, 2025 से समस्त जिलों में वर्ष 2025–26 रबी सीजन में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद प्रारम्भ की जानी है। इस हेतु आपको इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.03.2025 व 06.03.2025 के द्वारा समस्त जिलों में हैण्डलिंग एवं परिवहन की निविदाएँ समय पर सम्पादित करवाने हेतु निविदाओं के प्रपत्र एवं शर्तें भिजवाई जा चुकी हैं परन्तु आप द्वारा प्रथम बार निविदा खोलने की समायावधि को अधिक रखते हुए दिनांक 18 से 20 मार्च, 2025 तक रखी है। यदि किसी कारणवश पुनः निविदा आमन्त्रित करनी पड़े तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय का अभाव रहेगा। अगर आप द्वारा समय पर निविदा कार्यवाही नहीं करवाई जाती है और खरीद कार्य में अनावश्यक विलम्ब होता है तो निविदा कमेटी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगीं। साथ ही नेफेड से उक्त दरें अनुमोदित करवाने में अनावश्यक विलम्ब होगा, जिससे खरीद पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

अतः आप हैण्डलिंग एवं परिवहन की निविदाओं का समस्त कार्य शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि राज्य में 01 अप्रेल, 2025 से रबी सीजन की समर्थन मूल्य पर खरीद कार्य सुचारू रूप से सम्पादित कराया जा सकें।

भवदीय,

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रशासक, राजफेड, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव व रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान सरकार
4. निजी सचिव, जिला कलक्टर समस्त
5. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ (समस्त)
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड (समस्त)

प्रबन्ध निदेशक

परिशिष्ट- 13

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

कमांकःफो.1/ई–बिड/एच.एन.टी./लेखा/2025–26/5921-5970 दिनांकः 10-02-2025

प्रबन्ध निदेशक,
कृषि विपणन निदेशालय
पंत कृषि भवन,
राजस्थान–जयपुर।

विषयः–वर्ष 2025–26 में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग कार्य की सम्बन्धित कृषि उपज मंडी की नवीनतम दरों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि भारत सरकार नेफैड के लिए वर्ष 2025–26 के लिए समर्थन मूल्य पर रबी व खरीफ(दोनों) सीजन के लिए कृषि जिंस क्रय किये जाते है। इस कार्य हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2025–26 में हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जानी है। इस हेतु कृषि जिंस क्रय प्रक्रिया में सम्बन्धित मंडी की हैण्डलिंग कार्य की दर आधार रखी जा रही है। राजस्थान राज्य में स्थापित सभी कृषि उपज मंडी समितियों की वर्तमान में प्रचलित नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरों की एक–एक प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। जिससे निविदा कार्य निर्धारित समय तक सम्पन्न करवाया जा सकें।

भवदीय,

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध संचालक,राजफैड

संलग्नः–प्रोफार्मा।

प्रतिलिपिः–

1– क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड समस्त को भेजकर लेख है कि आपके अधीन सभी कृषि उपज मंडी समितियों की नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरें प्राप्त कर मुख्यालय को एक सप्ताह में भिजवाये।

2– उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉं,समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि इस कार्य हेतु आपके अधीन कृषि उपज मंडी समितियों के नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरें प्राप्त कर सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय,राजफैड/मुख्यालय,राजफैड जयपुर को एक सप्ताह में उपलब्ध करावें।

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध संचालक,राजफैड

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति.................................,राजस्थान

क्रेता/व्यापारी के खरीद जिंसों पर लगने वाले खर्चो का विवरण(हैण्डलिंग दर)

क्रं.सं.	विवरण	50 किलो.ग्राम. भर्ती (कट्टे की दर)	35 किलो.ग्राम(मूंगफली) भर्ती की दर
1.	जिंस की तुलाई		
2.	कांटे से उतराई/कांटे से कट्टे की खिंचाई		
3.	कट्टे की धागे से टैग के साथ मशीन सिलाई		
4.	ट्रक लोड़िग		

नोटः— टैग की सप्लाई नहीं होने की स्थिति में कट्टों पर रंग/मार्का लगाया जायेगा, जिसकी दर 50 पैसे प्रति कट्टा निर्धारित है।

प्रमाणित

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर प्रतिनिधि
(कृषि विपणन विभाग,राजस्थान,जयपुर)

(सचिव,कृषि उपज मंडी समिति,............)

परिशिष्ट–14

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम –

निम्नलिखित दस्तावेज नेफेड/एनसीसीएफ को भेजे जाने वाले खरीद एवं हैण्डलिंग बिलों के साथ आवश्यक रूप से जाँच कर संलग्न करें ।

जिन्स का नाम –		खरीद वर्ष –			
क्र. सं.	बिल	आवश्यक दस्तावेज		जाँच हेतु {√}	
				हाँ	नहीं
1	खरीद बिल	1	समिति का विक्रय बिल ।		
		2	ग्राम0 से0 सह0 समिति का विक्रय बिल यदि खरीद है ।		
		3	ऑनलाईन खरीद रजिस्टर दिनांकवार ।		
		4	गोदामवार समिति द्वारा जमा माल का विवरण, वेयरहाउस रसीद सं0, खरीद केन्द्र का नाम, बोरी, वजन एवं दिनांक सहित ।		
		5	मानक भर्ती के अनुसार क्लेम (प्रति बैग गेन को छिज्जत से समायोजित नहीं किया गया है) मानक भर्ती मूंगफली हेतु 35 किलो एवं अन्य हेतु 50 किलो प्रति बैग है ।		
2	बारदाना उपयोगिता बिल	1	सभी प्रकार के बारदाना दरों हेतु राजफेड हस्ताक्षर सहित लागत विवरण । पुराने बारदाने सहित यदि उपयोग किया गया है ।		
		2	अनुबन्ध करार की एक प्रति ।		
		3	टेण्डर प्रक्रिया में चयनित पार्टी को कार्य आदेश की प्रति ।		
		4	पार्टी द्वारा सप्लाई किये गये बारदाने का सैम्पल बिल जिसका मिलान लागत विवरण से हो ।		
		5	मानक भर्ती के अनुसार बारदाना उपयोगिता का बिल ।		
		6	राजफेड का बारदाने उपयोगिता बिल ।		
3	कमीशन बिल	1	राजफेड का बिल 2 प्रतिशत हेतु ।		
		2	समिति को बिल 1 प्रतिशत हेतु ।		
		3	ग्रा0 से0 सह0 समिति का बिल यदि खरीद है ।		
4	हैण्डलिंग बिल	1	राजफेड का हैण्डलिंग बिल ।		
		2	समिति का हैण्डलिंग बिल ।		
		3	ग्रा0 से0 सह0 समिति का बिल यदि खरीद है ।		
		4	नेफेड़ द्वारा अनुमोदित मण्डी दर की प्रति ।		
5	परिवहन का बिल	1	राजफेड का परिवहन का बिल ।		
		2	समिति का परिवहन का बिल ।		
		3	ग्रा0 से0 सह0 समिति का परिवहन का बिल यदि खरीद है ।		
		4	नेफेड़ द्वारा परिवहन हेतु अनुमोदित दरों की प्रति ।		
		5	क्लेम किये गये परिवहन का विवरण – खरीद केन्द्र का नाम, जमा केन्द्र का नाम, दूरी, क्लेम दर इत्यादि ।		
		6	दूरी के प्रमाण हेतु गूगल से निकटतम दूरी प्रमाण पत्र प्रमाणित कर संलग्न करें ।		
		7	50 कि0मी0 से बाहर किये गये परिवहन हेतु मु0सचिव राज0 सरकार से अनुमोदित विवरण जो आशा दिशा निर्देशानुसार केश टू केश बेसिस हो (यानि खरीद केन्द्र एवं जमा केन्द्र का नाम स्पष्ट हो)		

23

परिशिष्ट-15

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांकःसह / पी.एस.एस. / 2018-19 / 459-609 दिनांक: 06.04.2018

अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ
.... खण्ड ....

विषय-- समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत रबी 2018 में चना सरसों की खरीद के संबंध में।
प्रसंग-- दिनांक 07.03.2018 को मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्णयों की क्रियान्विति

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 07.03.2018 को मुख्य सचिव राजस्थान की
अध्यक्षता आयोजित विडियो कॉन्फ्रेसिंग का कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक 151--321 दिनांक
03.04.2018 के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। राजफैड से संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही
सुनिश्चित करावें । कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 10 में यह स्पष्ट किया गया है कि खरीफ
2017 में भंडारगृहों में कृषि जिन्स जमा कराते समय कई स्थानों पर गुणवत्ता संबंधि विवाद की
स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः इसे देखते हुए रबी सीजन 2018-19 के लिए भंडारगृहों पर एफएक्यू
श्रेणी के जिन्स के संबंध में निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है:-

1. आरएसडब्लूसी / सीडब्लूसी का प्रतिनिधि
2. नेफेड का प्रतिनिधि
3. कृषि विभाग का कृषि पर्यवेक्षक
4. संबंधित समिति व्यवस्थापक – सदस्य सचिव

वेयर हाउस में किसी भी प्रकार के रिजेक्शन में आवश्यक रूप से सर्वेयर से रिजेक्शन
रिपोर्ट तैयार करवाई जावे तथा उस पर आवश्यक रूप वेयर हाउस मैनेजर के हस्ताक्षर हो ताकि
कृषि जिन्स भंडारण कार्य में पारदर्शिता रखी जा सके।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता एवं गोपालन मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि, राजस्थान जयपुर
3. जिला कलेक्टर, (संबंधित)
4. महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा / कृषि / रसायन) राजफैड जयपुर
5. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मार्के) सहकारी समितियाँ राजस्थान जयपुर
6. अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ.............................खण्ड..............................
7. संयुक्त निदेशक(व्यापार) राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम जयपुर
8. क्षेत्र प्रबन्धक केन्द्रीय भंडारण निगम जयपुर
9. शाखा प्रबन्धक नेफेड जयपुर
10. उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, (संबंधित)..............................
11. क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड(समस्त)..............................

9/4/18

प्रबन्ध संचालक
राजफैड

परिशिष्ट- 16 24

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांकःसह / पी.एस.एस. / 2021-22 / 12957-13052 दिनांक 28.03.2022 29

कार्यालय आदेश

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत क्रय कृषि जिन्स के भण्डारगृह में भण्डारण के दौरान गुणवत्ता संबंधी विवाद निवारण हेतु गठित कमेटी दिनांक 06.04.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार 5 सदस्यीय कमेटी का गठन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

1. सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार - अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड़ - सदस्य
3. वेयरहाउस (आर.एस.डब्ल्यू.सी.) / सी.डब्ल्यू.सी.) प्रतिनिधि - सदस्य
4. नेफेड प्रतिनिधि - सदस्य
5. संबंधित समिति व्यवस्थापक - सदस्य सचिव

गठित कमेटी द्वारा क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता पर विवाद होने पर निम्न प्रक्रिया अपनायी जावे :-

1. सदस्य सचिव द्वारा कमेटी की बैठक का आयोजन किया जावेगा।
2. बैठक आयोजन के क्रम में नोटिस जारी किया जावेगा जिसमें तिथि, समय व विवाद विवरण का उल्लेख होगा।
3. बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. वेयरहाउस व नेफेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ही प्रतिनिधि नामित किये जा सकेंगे।
5. गुणवत्ता के क्रम में बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. क्रय कृषि जिन्स गुणवत्तायुक्त नहीं पाये जाने पर कारण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
7. वेयरहाउस में गुणवत्तायुक्त कृषि जिन्स का ही भण्डारण किया जा सकेगा।
8. गठित कमेटी अन्यथा स्थिति यथा भंग या संशोधन न होने की स्थिति में यथावत कार्य करती रहेगी।
9. क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता के क्रम में सदस्य कमेटी के मध्य मतांतर होने पर सभी सदस्यों के अभिमत कार्यवाही में अंकित किये जावे।
10. कमेटी की बैठक में सम्पन्न कार्यवाही से नेफेड व राजफैड़ को तत्काल अवगत कराया जावे।
11. कमेटी आवश्यक समझे तो संबंधित क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य को मताधिकार नहीं होगा।

(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

(36)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

परिशिष्ट- 17

61

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक–प.10(2)कृषि (ग्रुप–2)76 पार्ट जयपुर, दिनांक

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17–ए तथा धारा 40–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लिमिटेड (राजफैड) के माध्यम से दलहन, तिलहन की खरीद समर्थन मूल्य पर किए जाने पर वर्ष 2025–26 के रबी सीजन में खरीद अवधि तक के लिए उक्त खरीद पर राज्य की मण्डी समितियों को देय कृषक कल्याण फीस एवं मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अशोक कुमार मीणा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि विपणन (माननीय मुख्यमंत्री महोदय), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
6. शासन सचिव, कृषि।
7. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजफैड, जयपुर।
9. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग।
10. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Document certified by ASHOK KUMAR MEENA <AGRI.GROUP2@gmail.com>.
Digitally Signed by ASHOK KUMAR MEENA
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :10-03-2025 12:27:01

Room No. 5227, Second Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) 302005
Phone No. 0141-2221826/2223267 E-mail - agri.group2@gmail.com

No.: 14081077

परिशिष्ट – 18

समर्थन मूल्य पर खरीद रबी वर्ष 2025–26 का स्टॉक प्रमाण पत्र

दिनांक ....

क्र.स.	जिन्स	पूर्व की खरीद		आज दिनांक .... की खरीद		कुल खरीद		वेयर हाउस में जमा		समिति पिड पर समिति की कस्टडी में		कुल वेयर हाउस में जमा एवं समिति के पिड पर	
		कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)	9	10	11	12	13 (9+11)	14 (10+12)
1.	चना												
2.	सरसों												
योग–													

Note Hansraj

परिशिष्ट-19

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु0-3) विभाग

क्रमांकःप. 6(13)प्र.सु./अनु.-3/2018 जयपुर, दिनांक 17.4.2018

-:आज्ञा:-

समर्थन मूल्य पर विभिन्न कृषि जिंसों की खरीद के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित चार समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है:--

(अ) राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
6.	शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
7	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
8	प्रबन्ध संचालक, आरएसडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
9	शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर	सदस्य
10	प्रबन्ध संचालक, राज. रा. सह. बैंक लि.(अपैक्स बैंक), जयपुर	सदस्य
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
12	प्रबन्ध संचालक, रा.रा.स.क.वि.सं.लि.(राजफैड), जयपुर	सदस्य सचिव

(ब) समर्थन मूल्य पर खरीद की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के निस्तारण एवं निगरानी हेतु राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3	महानिरीक्षक, पुलिस (लॉ एण्ड आर्डर) राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4	शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	प्रबन्ध संचालक, रा.रा.स.क.वि.सं.लि.(राजफैड), जयपुर	सदस्य
6	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय), सहकारी समितियाँ, राज., जयपुर	सदस्य
7	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्के.), सहकारी समितियाँ, राज., जयपुर	सदस्य
8	प्रबन्ध संचालक, राज. रा. सह. बैंक लि.(अपैक्स बैंक), जयपुर	सदस्य
9	अतिरिक्त निदेशक, कृषि, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
10	अधिशाषी निदेशक, आरएसडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
12	शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर	सदस्य
13	महाप्रबन्धक, वित्त, राजफैड, जयपुर	सदस्य
14	महाप्रबन्धक, वाणिज्य, राजफैड, जयपुर	सदस्य सचिव

(स) जिला स्तर पर समर्थन मूल्य पर खरीद में समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु जिला स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	जिला कलक्टर, संबंधित जिला	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक, संबंधित जिला	सदस्य
3	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां एवं पदेन प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड	सदस्य
4	जिला रसद अधिकारी, संबंधित जिला	सदस्य
5	निकटस्थ क्रय-विक्रय सहकारी समिति (के.वी.एस.एस.) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6	उप निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
7	प्रतिनिधि, आरएसडब्लूसी / सीडब्लूसी	सदस्ट
8	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	सदस्य सचिव

(द) खरीद केन्द्र के स्तर पर समर्थन मूल्य की खरीद के मे आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु खरीद केन्द्र समन्वय एवं निगरानी समिति

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	संबंधित उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
3	उप पुलिस अधीक्षक / थाना इन्चार्ज (संबंधित)	सदस्य
4	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	सदस्य
5	प्रतिनिधि आरएसडब्लूसी / सीडब्लूसी	सदस्य
6	सचिव, कृषि उपज मण्ड समिति	सदस्य
7	के सी एस एस / खरीद केन्द्र का व्यवस्थापक	सदस्य सचिव

उक्त समितियों का प्रशासनिक विभाग सहकारिता विभाग है।

आज्ञा से,

17/4/18

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल / माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सहकारिता मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त / कृषि विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
6. निजी सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
12. समस्त कोषाधिकारी, संबंधित जिला।
13. समस्त उप / सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ।
14. प्रबन्ध संचालक आरएसडब्लूसी / राजफैड / अपैक्स बैंक, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली। संदर्भ सं. प.9(11)सह / 2018 / लूज-1

17/4/18

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी

परिशिष्ट -20

|| कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ||

क्रमांक:-वं-15(11) कानून-व्यवस्था/2018-23/376 दिनांक:-20.3

समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
समस्त उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

विषय:-समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत रबी 2023-24 में चना-सरसों के केन्द्रों के संबंध में।

प्रसंग:- राजस्थान राज्य सहकारी, क्रय-विक्रय संघ लि. के पत्र क्रमांक 5768-6488 दिनांक 17.03.23 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि रबी फसल 2023-24 में समर्थन मूल्य पर चना-सरसों की खरीद हेतु क्रय केन्द्रों पर लाया जायेगा। उक्त खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो इस संबंध में आपके जिलों के क्रय केन्द्रों पर फसल खरीद के दौरान आवश्यक पुलिस प्रबन्ध किया जाकर कानून-व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

232

20/3/2023

हिम्मत अभिलाष टाक,IPS
पुलिस अधीक्षक,
कानून-व्यवस्था, राज0, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.पुलिस आयुक्त, जयपुर/ जोधपुर।
2.समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
3.प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में।

Signature valid
Digitally signed by Himmat Abhilash Tak
Designation : Superintendent Of Police
Date: 2023.03.20 1?:22:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3439689

परिशिष्ट – 21

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांक : 2020–21/14706-14793

दिनांक 16.10.2020

जिला कलक्टर,
..........................(सम्बन्धित)

विषयः समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2020 में मूंग, उड़द मूंगफली एवं सोयावीन की खरीद केन्द्रों पर सुचारू खरीद व्यवस्था हेतु।

महोदय,

राजफैड़ द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द एवं सोयावीन की दिनांक 01.11.2020 एवं मूंगफली की खरीद दिनांक 18.11.2020 से आरम्भ की जानी है। किसानों के ऑनलाईन पंजीयन दिनांक 20.10.2020 से आरम्भ किये जा रहे है।

क्रय केन्द्रों के सुचारू क्रियान्वयन एवं मौके पर आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु खरीद केन्द्रों के स्तर पर प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु–3) राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प 6(13) प्र.सु./अनु–3/2018 दिनांक 17.04.2018(संलग्न) के अनुसार समिति गठित की गई है। उक्त समन्वय एवं निगरानी समिति को आपके स्तर से सक्रिय करने हेतु निर्देश जारी करावें एवं साप्ताहिक रूप से इसकी रिपोर्ट प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

राजस्व सबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए खरीद के दौरान प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर एक नायब तहसीलदार/गिरदावर मय हल्का पटवारी की नामजद ड्यूटी लगाई जावें, जो कि खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर उपस्थित रहेगें एवं क्रय केन्द्रों पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करेगें। इन क्रय केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रत्येक केन्द्र पर 1–4 का पुलिस बल भी लगाया जावें। सम्बन्धित जिला कलक्टर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि. (राजफैड़) को भी भिजवाना सुनिश्चित करे।

समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन खरीद का कार्य महत्वपूर्ण प्रकृति का है। आगामी दिनों में राज्य में निकाय चुनाव होने जा रहे है। खरीद कार्य में राजफैड, क्रय विक्रय सहकारी समितियॉं,सहकारी विभाग के अधिकारियों को चुनाव डयूटी से मुक्त रखा जाना है। सबंधित जिला कलक्टरस द्वारा उपरोक्त विन्दुओं का विशेष ध्यान रखते हुए व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :–
1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि राजस्थान सरकार, जयपुर
2. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, राजस्थान, जयपुर–गत सीजन में जो केन्द्र संवेदनशील रहे है, उन पर विशेष निगरानी की व्यवस्था करवायी जावे।
3. उप शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त/संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं..........................खण्ड..........................
5. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं..........................
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़ (समस्त)..........................
7. प्रचार अधिकारी, सहकारी विभाग, जयपुर।

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

परिशिष्ट-22

बैनर का प्रारूप

क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि0......................जिला ....

किसान द्वारा वहनीय खर्चों की राशि समिति में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जावे।

समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चना रबी वर्ष 2025–26 क्रय केन्द्र ....

समर्थन मूल्य दर सरसों – 5950/-- रु. क्विंटल एवं चना 5650/– रु. क्विंटल

दलहन एवं तिलहन की एफ.ए.क्यू. किस्म के भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	मापदण्ड	दलहन (चना)%	तिलहन (सरसों)%
1.	विजातीय तत्व, धूल मिट्टी ग्रस्त		
2.	अन्य अनाज दाने – जैसे तोरिया		
3.	टूटे फूटे दाने		
4.	मामूली कस से क्षतिग्रस्त व बदरंग		
5.	अपरिपक्व एवं टूटे हुये सिकुड़े व कच्चे दाने		
6.	अन्य किस्म व मिले हुये		
7.	दबे हुये व घुने दाने		
8.	नमी की मात्रा		

- कृपया कृषक अपनी फसल को साफ व सुखाकर उक्त मापदण्डों की किस्म ही विक्रय हेतु लावे। एफ.ए.क्यू. का दायित्व स्वयं कृषक को होगा।
- कृषक अपनी जिन्स के विक्रय हेतु जनआधार कार्ड, मूल गिरदावरी, बैंक पासबुक व रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज साथ लावे।
- उपरोक्त बिन्दु 1 से 8 भारत सरकार द्वारा घोषित मापदण्डों की परिभाषा के अधीन स्वीकार्य सीमा तक मान्य है।

जिन्स छनाई से लेकर कांटे पर बोरी रखाई तक के
किसान द्वारा वहनीय खर्चों की राशि का योग–

गतिविधि	दर प्रति कट्टा
1.उतराई	....
2. छंनाई	....
3. भराई	....
4. कांटे पर रखाई	....

किसान द्वारा स्वयं सम्पन्न गतिविधि का चार्ज वसूल योग्य नहीं होगा।

व्यवस्थापक का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

केन्द्र प्रभारी का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ.......................

नाम....................... मोबाईल नम्बर ....

क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड........................ मोबाईल नम्बर ....

राजफेड टोल फ्री नम्बर 18001806001

ई–मेल आई.डी. **rajfed@yahoo.com**

परिशिष्ट – 23

No.: 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

भवानी सिंह रोड,
यपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

दिनांक 09.11.2020

क्रमांक : वाणिज्य/2020-21/15988-16388

1. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ राजस्थान,
.... ।

2. उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
जिला.................................. ।

3. व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी,
क्रय-विक्रय सहकारी समिति,
.... ।

विषय :- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद हेतु अधिकारियों/कार्मिकों के दायित्व निर्धारण बाबत।

प्रसंग :- राजफैड़ का पत्र क्रमांक 14671-14680 दिनांक 20.10.20

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद में राजफैड़ के साथ-साथ सहकारी विभाग, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों (सहकार कृषक मित्र) की मुख्य भूमिका होती है। खरीद हेतु समय-समय पर सहकारी विभाग एवं राजफैड़ द्वारा सरकार/नेफेड के निर्देशानुसार आदेश/निर्देश जारी किये जाते है ताकि किसानों से कृषि जिन्सों की खरीद सुगमता से एवं पारदर्शी तरीके से हो सके। खरीद संबंधी कार्यों को सुगमतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु दायित्वों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :-

(अ) इकाई अधिकारी (जिले का उप रजिस्ट्रार) के दायित्व

1. खरीद प्रारंभ होने से पूर्व कृषि जिन्सों के तहसीलवार बुवाई एवं उत्पादन के आंकडें जिला कलक्टर के माध्यम से भिजवाना।

2. खरीद प्रारंभ होने से पूर्व खरीद केन्द्रों की सूची एवं तहसीलवार मैपिग की सूचना जिला कलक्टर के माध्यम से भिजवाना तथा खरीद केन्द्रों पर खरीद हेतु आधारभूत सुविधाऐं यथा पूर्णकालिक व्यवस्थापक, पर्याप्त स्टाफ, गोदाम की उपलब्धता, खरीद हेतु पक्का एवं कवर्ड प्लेटफार्म, इलक्ट्रोनिक कांटा, वैब कैमरा, कम्प्यूटर, प्रिंटर, बायोमैट्रिक मशीन, इनवर्टर एवं माल की सुरक्षा हेतु इंतजाम आदि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना।

3. खरीद प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित खरीद केन्द्रों के केन्द्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की एस.एस.ओ. आई.डी. राजफैड़ के दिशा-निर्देश अनुसार भिजवाना।

4. विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक क्रय-विक्रय सहकारी समिति मे एक-एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदस्थापन सुनिश्चित करना। जहां एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति के एक से अधिक खरीद केन्द्र है वहां पृथक से विभाग के कार्मिक को लगाना।

5. राजफैड़ द्वारा खरीद के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करनां

6. खरीद के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी से समन्वय कर उनका समाधान करना/करवाना तथा अनियमितताओं के संबंध में संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करना/कार्यवाही के निर्देश प्रदान करना।

7. खरीद के दौरान खरीद की गई जिन्सों का नियमित रूप से भण्डारण होना सुनिश्चित करना, बारदाना का खरीद के अनुपात में अनुमानित स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

T No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

, भवानी सिंह रोड,
यपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

8. खरीद के दौरान खरीद केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण करना जिसमें प्रमुख रूप से जिन्सों की गुणवत्ता, निर्धारित वजन, कृषकों से टेण्डर के अनुसार निर्धारित मजदूरी राशि की वसूली सुनिश्चित करना एवं कृषकों के दस्तावेजों की रेण्डम चेकिंग करना।
9. भण्डारित जिन्सों की भण्डारण रसीदें राजफैड को भिजवाया जाना सुनिश्चित करना।

(ब) समिति मुख्य व्यवस्थापकों के दायित्व

1. समिति मुख्य व्यवस्थापक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद हेतु राजफैड द्वारा जारी खरीद निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक व्यवस्थाऐं करेगें ताकि खरीद सुगमता से एवं पारदर्शी तरीके से हो सके।
2. हैण्डलिंग एवं परिवहन के टेण्डर आंमत्रित करना।
3. मुख्य व्यवस्थापक समिति स्तर पर कृषकों से जिन्स क्रय करने से लेकर जिन्स वेयरहाउस में जमा करवाकर एफ.ए.क्यू. बिना रिमार्क की भण्डारण रसीद राजफैड़ में जमा कराना।
4. खरीद/हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिल समय पर राजफैड़ में जमा कराने तक के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

(स) केन्द्र प्रभारी के दायित्व

1. राजफैड द्वारा खरीद हेतु कृषकों को भेजे गए संदेशों के प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत कृषकों से निर्धारित दस्तावेजों को चैक कर रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना, किसान से जिन्स की खरीद मात्रा का निर्धारण क्रय केन्द्र पर कृषक द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी की हार्ड कॉपी से मिलान के आधार पर तय करना।
2. निर्धारित रजिस्टर संधारित करना, बटाईदार कृषकों से खरीद के दस्तावेज एवं रिकॉर्ड पृथक से संधारित करना तथा राजफैड़ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गिरदावरी चैक कर गिरदावरी सत्यापित करना।
3. कृषकों से निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार जिन्स क्रय करना, नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्सों का कारण अंकित करते हुए रिजेक्शन रजिस्टर में प्रविष्टि करना, रिजेक्शन स्लिप किसान को जारी करना तथा सैम्पल रखना।
4. गुणवत्ता विवाद की स्थिति में राजफैड़ द्वारा निर्धारित कमेटी की बैठक बुलाने की कार्यवाही करना/करवाना। 5. बारदाने का रिकॉर्ड रखना एवं आवश्यकतानुसार बारदाने की मांग राजफैड़ को भिजवाना, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बारदाना प्राप्त नहीं होने पर पंचनामा कमेटी की बैठक बुलवाकर निर्धारित समयावधि में राजफैड़ को लिखित में अवगत करवाना।
5. बोरियों पर मार्का निर्धारित प्रारूप में लगवाना। बोरियों में जिन्स की मानक भर्ती एवं मशीन से ही सिलाई करवाना।
6. इलेक्ट्रोनिक तराजू का खरीद से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना, मॉइश्चर मीटर से जिन्सों की नमी मापना, क्रय जिन्सों की सुरक्षा व्यवस्था करना।
7. हैण्डलिंग एवं परिवहनकर्ता को प्रतिदिन खरीद की गयी जिन्सों को भण्डार गृह में जमा करवानें हेतु सुपुर्द करते हुए उसकी रसीद /बिल्टी प्राप्त करना, गेटपास जारी करना, ई-वे बिल जारी करवाना, एफ.ए.क्यू. बिना रिमार्क की भण्डारण रसीद राजफैड़ में जमा करवाना। प्रतिदिन डे-क्लोज करना।

(द) कम्प्यूटर ऑपरेटर के दायित्व

1. राजफैड़ द्वारा निर्धारित दस्तावेज किसानों से मूल रूप में प्राप्त कर पत्रावली में रखना।
2. नियमानुसार क्रय की गयी जिन्सों का ऑनलाईन विक्रय बिल जारी करना, क्रय रजिस्टर एवं विक्रय बिल पर किसान के हस्ताक्षर करवाना।

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX : 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

3. किसान का बायोमैट्रिक सत्यापन करना। किसान का पंजीयन उसी तहसील का होना सुनिश्चित करना जिसमें तुलाई करवायी जा रही है। मोबाईल नम्बर तथा किसान के बैंक खाते का विवरण जनआधार में दर्ज खाते के विवरण से मिलान करना।
4. बटाईदार की स्थिति में इकरारनामा की वैधता जॉच कर पृथक रूप से रखे गये रजिस्टर में प्रविष्टि कर हस्ताक्षर करवाना।
5. किसानों से राजफैड द्वारा दिये गये ऑनलाईन मैसेजों के आधार पर प्राथमिकता से खरीद/बिल जारी करना।

समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्स खरीद कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपसी समन्वय स्थापित करवाते हुए अपना पूर्ण योगदान प्रदान करना सुनिश्चित करेगें।

भवदीया

(सुषमा अरोड़ा)
आई.ए.एस.
प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि :-
1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर को राजफैड़ के प्रासंगिक पत्र दिनांक 20.10.20 की ओर ध्यानाकर्षित कर अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पाबंद करने का श्रम करें।
4. जिला कलक्टर ....।
5. महाप्रबन्धक(वित्त/कृषि/वाणिज्य/मा.स.वि.), राजफैड़, जयपुर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड ....।
7. शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर।
8. आई.टी. शाखा राजफैड़, जयपुर।
9. प्रचार अधिकारी, सहकारी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रबन्ध संचालक

परिशिष्ट–24

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0

क्रय केन्द्र का विजिट किये जाने हेतु विजिट रिपोर्ट प्रारूप

1. विजिटकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम ....

2. क्रय केन्द्र का नाम ....

3. विजिट किये जाने की दिनांक ....

4. विजिट दिनांक तक की गई कुल खरीद जमा एवं शेष (बैग्स की संख्या)

क्र.सं.	जिन्स का नाम	कुल खरीद(बैग्स)	जमा	शेष	विशेष विवरण
1					
2					
3					
4					

5. बटाईदार से खरीद का सत्यापन

क्र.सं.	जिन्स का नाम	बटाईदार कृषकों की संख्या जिनसे विजिट दिनांक .... तक खरीद की गयी है	विजिट दिनांक तक बटाईदार कृषकों से क्रय किए गए जिन्स के दस्तावेजों के सत्यापन की संख्या	यदि कोई असमानता पायी जाती है तो उसका स्पष्ट विवरण पृथक से संलग्न करे।
1				
2				
3				
4				

6. गुणवत्ता संबंधी मूल्यांकन

....

....

....

7. तौल संबंधी मूल्यांकन

....

....

....

8. बारदाने संबंधी मूल्यांकन

क्र.सं.	जिन्स का नाम	केन्द्र पर प्राप्त कुल बारदाना (संख्या)	उपयोग में लिया गया बारदाना (संख्या)	शेष बारदाना (संख्या)	विशेष विवरण
1					
2					
3					
4					

9. खरीद किये जा चुके माल की सुरक्षा हेतु किये गये प्रबंध

....

....

....

10. कृषकों की पहचान बाबत मूल्यांकन

....

....

....

11. रिजेक्शन संबंधी मूल्यांकन

....

....

....

12. क्रय केन्द्र की साफ–सफाई, रोशनी/पेयजल एवं कोविड–19 से संबंधित व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे एवं क्रय केन्द्र पर लगाये जाने वाले बैनर्स आदि की व्यवस्था तथा किसान से वसूली योग्य राशि अंकित करे। (बैनर्स की फोटो संलग्न करे)

....

....

....

13. तीन कृषकों से लिये गये बयान संलग्न करे एवं यदि कोई कृषकों की समस्या हो तो उसका विवरण देंवें।

....

....

....

14. केन्द्र पर खरीदे गए माल का उठाव/ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं का विवरण(आदेश/वर्कऑर्डर की फोटो प्रति सहित)

....

....

....

....

15 . विशेष विवरण ....

....

....

....

....

....

....

....

विजिटकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर